प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2024–25

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

तथा

सार्वजनिक उपक्रम विभाग

नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024–30 का विमोचन

भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (**EDII**), अहमदाबाद के साथ एमओयू का निष्पादन

प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024–25

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग

मंत्रालय	
विभागीय मंत्री – सार्वजनिक उपक्रम विभाग	माननीय श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
विभागीय मंत्री – वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	माननीय श्री लखन लाल देवांगन,उद्योग मंत्री,छत्तीसगढ़ शासन
सचिव (वा.उ.–रेल परियोजनाएं)	श्री रजत कुमार, IAS
सचिव	श्री रजत कुमार, IAS
उप सचिव	सुश्री रेना जमील, IAS श्री उमेश पटेल
अवर सचिव	श्री मगन लाल पवार
विभागाध्यक्ष	
उद्योग संचालनालय	श्री प्रभात मलिक, IAS, संचालक उद्योग
फर्म्स एवं संस्थाएं	श्री रितेश कुमार अग्रवाल, IAS, पंजीयक
वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	श्री गुंजन शुक्ला, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र
विभाग के बोर्ड एवं निगम	
राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड	**अध्यक्ष**–माननीय श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
	संयोजक– श्री रजत कुमार, IAS
छत्तीसगढ़ रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेड	**अध्यक्ष**–श्री अमिताभ जैन, IAS
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	**अध्यक्ष** – श्री लखन लाल देवांगन,उद्योग मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
	प्रबंध संचालक – श्री विश्वेश कुमार,IFS

क्रं.	विषय सूची	पृष्ठ क्र.
1.	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	5—11
2.	उद्योग संचालनालय	12—22
3.	पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं	23—24
4.	वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	25—28
5.	विभाग के अंतर्गत आने वाले बोर्ड / उपक्रम	
	(अ) राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड	29
	(ब) छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	30—41
6.	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (रेल परियोजनाएं प्रकोष्ठ)	42—44
7.	सार्वजनिक उपक्रम विभाग	45
8.	विभागीय बजट	46—48
9.	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अंतर्गत विभिन्न घटकों / निगम / बोर्ड का स्वीकृत सेटअप	
	परिशिष्ट—एक उद्योग संचालनालय	49—50
	परिशिष्ट—दोपंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं	50—51
	परिशिष्ट—तीनवाष्पयंत्र निरीक्षकालय	51—52
	परिशिष्ट—चारराज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड	52
	परिशिष्ट—पांचछत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	53—55

भाग – 1
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

राज्य के सर्वांगीण आर्थिक विकास में औद्योगीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों के विकास में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा प्रमुख दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है। राज्य में औद्योगीकरण एवं व्यापार संवर्धन के उद्‌देश्य से उद्यमियों को सुविधाएं, विभिन्न छूट एवं अनुदान प्रदान कर उद्योग स्थापना व स्थापित उद्योग के विस्तार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ''प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम'', ''स्टार्ट अप योजना'', ''प्रधानमंत्री मुद्रा योजना'', ''स्टैण्ड अप योजना'', ''प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME)'' में नोडल विभाग के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है तथा ''प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना'' में जिला स्तर पर समन्वयक का कार्य किया जा रहा है। देश–विदेश में औद्योगिक विकास नीति का प्रचार–प्रसार कर, निवेश आकर्षित करने तथा निर्यात संवर्धन को बढ़ावा दिये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमियों, तृतीय लिंग एवं भूतपूर्व सैनिकों (जिनमें Paramilitary Forceभी शामिल हैं), सेवानिवृत्त अग्निवीर एवं नक्सल प्रभावितों, आत्मसमर्पित नक्सलियों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु अधिक प्रोत्साहन दिये जाने की योजना है, जिससे इन वर्गों का आर्थिक उत्थान हो सके।

1. विभाग के दायित्व

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के मुख्य दायित्व निम्नानुसार है–

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :

1. व्यापार और वाणिज्य।
2. वस्तुओं का उत्पादन।
3. एकस्व, आविष्कार, रूपांकन, प्रतिलिप्याधिकार, व्यापार चिन्ह तथा पण्य चिन्ह।
4. शुल्क सीमांतों को पार करने वाले आयात और निर्यात।
5. महाजनी (बैंकिग) कम्पनियों को छोड़कर अन्य कंपनियां।
6. अनिर्गमित व्यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक तथा अन्य संस्थाएं और संघ।
7. बीमा।
8. वाष्पयंत्र।
9. भण्डार।
10. विस्फोटक।
11. डाक घर बचत बैंक।
12. डाक तथा तार, बेतार तथा दूरभाष, जिसमें सरकारी दूरभाष (टेलीफोन) सम्मिलित नहीं हैं।
13. सीमा शुल्क जिसमें निर्यात शुल्क सम्मिलित हैं।
14. विनिमय पत्र, चेक, वचन–पत्र और ऐसीही अन्य लिखतें।
15. उद्योगों की राज्य सहायता।

16. राज्य उद्योग तथा औद्योगिक सहकारी सोसाइटियां। (ग्रामोद्योग से संबंधित औद्योगिक सहकारी सोसाइटियों तथा सहकारिता विभाग की मद क्रमांक—2 को छोड़कर)
17. उद्योगों का विकास जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाएं तथा लघु उद्योग। (ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग को छोड़कर)
18. शासकीय केन्द्रीय कर्मशाला।
19. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिपत्य, व्यापार, संघ तथा न्यास।
20. *विलोपित।*
21. हड्डी, हड्डी के चूरे, खाद मिश्रण और हड्डी तथा हड्डी के चूरे से बने हुए सुपर फास्फेट पर नियंत्रण।
22. फर्नेस ऑयल।
23. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध समस्त विषय जिनका विभाग से संबंध है (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ—नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन।
24. रेल—इसमें नई रेल्वे लाईनों के प्रस्ताव और इनका निर्माण शामिल हैं।
25. सेवा क्षेत्र।

(ब) विभाग द्वाराप्रशासित अधिनियम, नियम तथा भारत सरकार द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम जिसके तहत विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है :—

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006
2. औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951
3. छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973
4. भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932
5. वाष्प यंत्र अधिनियम, 1923
6. छत्तीसगढ़ उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम, 1959.
7. छत्तीसगढ़ सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1978
8. छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002
9. छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम, 2004
10. छत्तीसगढ़ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल नियम, 2017
11. छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002
12. छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015

(स) विभाग में प्रचलित नीतियां—

1. औद्योगिक नीति 2019—24 तथा औद्योगिक विकास नीति 2024—30
2. छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन
3. छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति 2023—28
4. ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 2023—24
5. छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक नीति 2022

(द) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के लियेप्रशासित सेवा नियम –

1. छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग (राजपत्रित सेवा), सेवा भर्ती नियम, 1985
2. छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा भर्ती नियम, 1987
3. छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग (तृतीय वर्ग कार्यपालिक सेवा) सेवा भर्ती नियम, 2007
4. छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग तृतीय श्रेणी (लिपिक एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2007
5. छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड सेवा भर्ती नियम, 2011
6. छत्तीसगढ़ राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय (अराजपत्रित) सेवा तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2007
7. छत्तीसगढ़ वाष्पयंत्र निरीक्षकालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2012
8. छत्तीसगढ़ वाष्पयंत्र निरीक्षकालय (राजपत्रित सेवा) सेवा भर्ती नियम, 2013
9. छत्तीसगढ़फर्म्स एवं संस्थाएं (तृतीय वर्ग सेवा) सेवा भर्ती नियम, 2006
10. छत्तीसगढ़फर्म्स एवं संस्थाएं (राजपत्रित सेवा), सेवा भर्ती नियम, 2007
11. छत्तीसगढ़ फर्म्स एवं संस्थाएं (चतुर्थ वर्ग) सेवा भर्ती नियम, 2012

2. अधीनस्थ कार्यालय / निगम / बोर्ड :–

क्र.	कार्यालय का नाम	श्रेणी	पता
1.	उद्योग संचालनालय	विभागाध्यक्ष	उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 1, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़
2.	राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड	बोर्ड	उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 1, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़
3.	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम	निगम	उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 1, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़
4.	वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	विभागाध्यक्ष	उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 1, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़
5.	पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं	विभागाध्यक्ष	इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़
6.	छत्तीसगढ़ रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	रायपुरा, महादेवघाट रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़

3. विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी –

(1) उद्योगों की वर्गवार जानकारी :–

क्र.	विवरण	संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (रू. करोड़ में)
1	स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (माह अप्रैल, 2024 से दिसंबर, 2024 तक)	1097	11303	2206.56
2	वर्षांत तक राज्य गठन के पश्चात कुल स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (1 नवम्बर	25039	175606	12751.10

	2000 से दिसम्बर 2024 तक)			
3	स्थापित मध्यम–वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (माह अप्रैल, 2024 से दिसंबर, 2024 तक)	77	4647.13	8968
4	वर्षांत तक राज्य गठन के पश्चात कुल स्थापित मध्यम, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (1 नवम्बर 2000 से दिसम्बर 2024 तक) (उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त)	540	103243.15	81351

(2) अन्य विभागीय जानकारी :–

क्र.	विवरण	संख्या
1	उद्योग संचालनालय के अधीन स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या (राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर–चांपा, सरगुजा, कोरिया, जगदलपुर, जशपुरनगर, सूरजपुर, कोण्डागांव, नारायणपुर)	25
2	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अधीन स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या (रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद, कबीरधाम, सरगुजा, जांजगीर–चांपा, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, सूरजपुर, कांकेर, धमतरी, बलौदाबाजार–भाटापारा, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, मुंगेली, जशपुर)	34
3	स्थापित विशिष्ट औद्योगिक पार्क 1–मेटल पार्क (फेस–1 एवं 2)–रावांभाठा, जिला–रायपुर 2– इंजीनियरिंग पार्क–भिलाई, जिला–दुर्ग 3– फूड पार्क ग्राम– बंजारी–बगौद, जिला धमतरी 4– इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, नवा रायपुर अटल नगर	04
4	विभाग के अधीन स्थापित उत्पादन इकाईयां 1–फर्नीचर वर्क्स अभनपुर, जिला–रायपुर 2–कृषि उपकरण कारखाना भिलाई, जिला–दुर्ग	02
5	राज्य में स्थापित वाष्पयंत्रों की संख्या	1765
6	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन राज्य में पंजीकृत समितियों की संख्या	1,56,134
7	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत फर्म संख्या	56,570
8	छत्तीसगढ़ से निर्यात वर्ष 2024–25 (अप्रैल 2024 से दिसम्बर, 2024) राशि (रू. करोड़ में)	12056.55
9	राज्य गठन के पश्चात् से निष्पादित प्रभावी एम.ओ.यू. (ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, 2012 में निष्पादित एम.ओ.यू. को छोड़कर एवं इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट को शामिल करते हुए) – संख्या प्रस्तावित पूंजी निवेश (रू. करोड़ में)	 362 377083.68

	सृजित स्थाई पूंजी निवेश (रू. करोड़ में) एम.ओ.यू. में उत्पादन प्रारंभ नवीन एवं विस्तारित परियोजनाएँ	109981.68 116
10	राज्य में रेल्वे लाईन – (पूर्व स्थापित 1186 रूट कि.मी.व नवीन 1407 कि.मी.)	2593
11	राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या–	26

4. ईज ऑफ डूईंग बिजनेस(**Ease of Doing Business**)

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा **EoDB** के तहत कराए जा रहे सुधारों के संबंध में **छत्तीसगढ़ राज्य लगातार देश के शीर्ष राज्यों में शामिल रहा है।**

Ease of Doing Businessके तहत् उद्यमियों/निवेशकों के लिए आवश्यक सभी लाईसेंस/अनुमति/सम्मति आदि के आवेदन तथा निराकरण हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा सिंगल विण्डो सिस्टम विकसित की गई है तथा इन सेवाओं की ऑफलाईन प्रक्रिया को पूर्णतः बंद कर केवल ऑनलाईन माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।

Ease of Doing Businessके अन्तर्गत उद्योग विभाग द्वारा लागू किये गये प्रमुख सुधार एवं अन्य विभागों से कराए गए प्रमुख सुधार निम्नानुसार हैं :–

1.	उद्योग संचालनालय एवं सी.एस.आई. डी.सी. लिमिटेड	1. "उद्यम आकांक्षा" ऑनलाईन, निःशुल्क, बिना किसी संलग्नक के एवं स्वप्रमाणन के आधार पर तुरंत जारी किये जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य में 1,11,199 से अधिक उद्यम आकांक्षा जारी किये जा चुके हैं। 2. उद्योग स्थापना एवं संचालन करने हेतु आवश्यक समस्त अनुज्ञप्तियां/अनुमति/प्रमाण–पत्र आदि की जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। कोई भी निवेशक अपने योजना के अनुसार लगने वाले अनुज्ञप्तियां/अनुमति/प्रमाण–पत्र आदि की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकता है। 3. राज्य से संबंधित सभी अनुज्ञप्ति/अनुमति/प्रमाण पत्र आदि की जानकारी को भारत सरकार द्वारा विकसित NationalSingle Window System में इंटीग्रेट किया गया है, जिसके माध्यम से देश तथा विदेश के निवेशक राज्य में उद्योग स्थापित करने के संबंध में समस्त आवश्यक जानकारी ऑनलाईन प्राप्त कर सकते है। 4. CSIDCद्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आबंटन पूर्णतः ऑनलाईन माध्यम से किया जा रहा है। 5. प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों हेतु उपलब्ध भूमि GISपद्धति के माध्यम से देखने की सुविधा प्रदान कि गई है जिसका उपयोग करके कोई भी निवेशक पर्यावरण की दृष्टि से लाल, नारंगी, हरी या सफेद श्रेणी के उद्योगों हेतु उपलब्ध भूमि, आस–पास उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं जैसे की सड़क, नाले, नहर, विद्युत आपूर्ति आदि की जानकारी GISपर आधारित नक्शे में देख सकते हैं। 6. औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक क्षेत्रों में जल कनेक्शन के लिये आवेदन की भी ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 7. औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित अनुदान, छूट एवं रियायतें

		औद्योगिक इकाईयों को ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से दी जा रही है।
2.	वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	1. वाष्पयंत्र के पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 2. बॉयलर नवीनीकरण के लिये सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। कुल 717 बॉयलरों का नवीनीकरण सेल्फ सर्टिफिकेशन के माध्यम से किया जा चुका है। 3. बॉयलर उत्पादनकर्ता के पंजीयन तथा नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 4. बॉयलर निरीक्षण हेतु केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली विकसित की गई है। 5. थर्ड–पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरूआत की जा चुकी है।
3	रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ	1. साझेदारी फर्म्स एवं संस्थाओं के पंजीयन के लिये ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। कुल 40138 आवेदनों का निराकरण ऑनलाईन किया जा चुका है। 2. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से संबंधित आवेदनों का समय–सीमा में निराकरण हेतु प्रणाली विकसित की गई है।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग राज्य अंतर्गत Ease of Doing Businessके तहत् समस्त विभागों द्वाराSingle Window System के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले सेवाओं के सरलीकरण के लिये नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। उद्योग विभाग के Single Window System के माध्यम से विभिन्न विभागों की 140 सेवाओं को ऑनलाईनप्रदाय किया जा रहा है। Single Window System के माध्यम से इन सभी 140 सेवाओं हेतु आवेदन, दस्तावेज अपलोड करना, आवेदन राशि का भुगतान ऑनलाईनकरना, आवेदन की स्थिति ज्ञात करना एवं स्वीकृत प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति/पंजीयन आदि ऑनलाईन डाउनलोड करने की सुविधा प्रदाय की गई है। सूचना की सुलभता एवं पारदर्शिता हेतु विभाग की एकल खिड़की प्रणाली में पब्लिक डोमेन में प्रकरणों के निराकरण की स्थिति प्रदर्शित की जा रही है। जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

5. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना (PMVIKAS) :–

केन्द्र शासन द्वारा कुल 18 प्रकार के कारीगरों की श्रेणी की पहचान कर उन्हें कौशल उन्नयन योजना से जोड़ कर उन्नत टूल किट प्रदाय करने के उद्येश्य से योजना प्रारंभ की गयी है। योजनांतर्गत स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दर 5 प्रतिशत पर 18 माह हेतु बैंक ऋण 01 लाख रू. प्रावधानित है, ऋण के पुनर्भुगतान उपरांत 02 लाख का ऋण 30 माह हेतु दिये जाने का प्रावधान है। 18 ट्रेड में बढ़ई, धोबी, सोनार, लोहार, मूर्तिकार, नाई, तालासाज, कुम्हार, चर्मकार, राजमिस्त्री इत्यादि शामिल हैं। योजनांतर्गत वाणिज्य एवं उद्योग विभाग प्रदेश में नोडल विभाग है। योजनांतर्गत प्रगति निम्नानुसार है :–

भारत सरकार द्वारा वर्तमान में

(1) ऑनलाईन आवेदन प्राप्त	–	75552 (15 ट्रेड)
(2) जिलों से अनुशंसित (स्टेज–2)	–	50166
(3) एमएसएमई द्वारा अनुशंसित (स्टेज–3)	–	38158
(4) बैंकों से प्रथम ऋण स्वीकृत	–	5533

(5) बेसिक ट्रेनिंग — 19271

6. पीएम गति शक्ति :—

पीएम गति शक्ति आर्थिक वृद्धि और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है, जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य के विभिन्न विभागों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ती है। इसका उदेश्य इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस, इज ऑफ़ लिविंग में सुधार करना, multimodal connectivity को सुदृढ़ करना तथा परियोजनाओं का न्यूनतम अपव्यय व मितव्ययिता के साथ शीघ्रता से क्रियान्वयन करना है।उक्त उदेश्य की पूर्ति हेतु BISAG (Bhaskaracharya institute of space Applications and Geo informatics) द्वारा ISRO imagery का उपयोग करते हुए एक राज्य स्तरीय पोर्टल तैयार किया गया है जिसमे मंत्रालयों और राज्य के विभागों की विभिन्न जानकारियाँ GIS(Geographic information system)के रूप में प्रदर्शित होती है। वर्तमान में, छत्तीसगढ़ राज्य मास्टर प्लान (CG SMP) पोर्टल पर 36 विभागों में कुल 191 लेयरअपलोड की जा चुकी हैं।

7. पीएमजी पोर्टल :—

पीएमजी भारत में 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ सार्वजनिक, निजी और पीपीपी परियोजनाओं में मुद्दों और नियामक बाधाओं के त्वरित समाधान के लिए एक संस्थागत निगरानी तंत्र है। 500 करोड़ रुपये से कम की परियोजनाओं की समीक्षा केस—टू—केस आधार पर की जाती है।

बड़े पैमाने की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, दक्षता और तेजी लाने के उद्देश्य से, पीएमजी आवश्यकतानुसार राज्य और केंद्रीय मंत्रालय स्तर पर नेतृत्व के साथ काम करता है। इसके अतिरिक्त, पीएमजी सभी हितधारकों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने के साथ—साथ परियोजनाओं की वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम करने के लिए अपने विशेष पोर्टल का लाभ उठाता है।

मूल रूप से 2013 में कैबिनेट सचिवालय के तहत स्थापित, पीएमजी को बाद में 2015 में प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) के तहत स्थानांतरित कर दिया गया था और बाद में 2019 में निर्बाध निवेशक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पीएमजी को इन्वेस्ट इंडिया, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के साथ विलय कर दिया गया था। यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर परियोजना से संबंधित मुद्दों की पहचान, ट्रैकिंग और समाधान के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

छत्तीसगढ़ में, वाणिज्य और उद्योग विभाग पीएमजी के लिए नोडल विभाग है। वाणिज्य और उद्योग विभाग त्वरित समस्या समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन, राज्य विभागों और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।

उद्योग संचालनालय

उद्योग संचालनालय रायपुर में स्थापित एवं कार्यरत् है। इसमें विभागाध्यक्ष/संचालक/आयुक्त स्तर के अधिकारी होते हैं तथा इसके अंतर्गत राज्य के 33 जिलों में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यरत है। मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यालय प्रमुख हैं। संचालनालय एवं इसके मैदानी कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों की पद संरचना **परिशिष्ट–एक** पर दर्शित है।

राज्य शासन की प्रचलित औद्योगिक विकास नीति 2024–30 का क्रियान्वयन ''उद्योग संचालनालय'', ''छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड'' एवं ''राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड'' के माध्यम से होता है। शासन के विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों तथा औद्योगिक जगत् के बीच सतत् समन्वय, सुझावों के आदान–प्रदान से औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हुए प्रदेश की औद्योगिक स्थिति को सुदृढ़ करने में योगदान दिया जा रहा है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा आनुषांगिक औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदाय की गयी सामग्री का भुगतान एक निर्धारित समयावधि में करने हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर 2006 से लागू "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006" के अधीनस्थ उद्योग संचालनालय में गठित "छत्तीसगढ़ सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन कौंसिल" कार्य कर रही है।

विभाग तथा उसके अन्तर्गत उद्योग संचालनालय, समस्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, वाष्पयंत्र निरीक्षकालय, रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं तथा छत्तीसगढ़ रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में लोक सेवा गारंटी अधिनियम–2011 एवं सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 लागू है।

संचालनालय द्वारा वित्तीय समावेशन योजनाओं, ''प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम'', ''प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना'', ''स्टार्टअप योजना'', ''स्टैण्ड–अप योजना'', ''प्रधानमंत्री मुद्रा योजना'', ''प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना''का क्रियान्वयन एवं समन्वय कर प्रदेश में पूंजी निवेश एवं रोजगार का सृजन किया जा रहा है।

(1) औद्योगिक विकास नीति 2024–30

''अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विजन @ 2047''– इस औद्योगिक विकास नीति 2024–30 का उद्धेश्य यह है कि इसके माध्यम से राज्य के सभी विकासखण्डों, जिलों एवं संभाग स्तर पर औद्योगिक विकास के लिए इस प्रकार नीति का क्रियान्वयन किया जाना है कि सभी क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों यथा विनिर्माण इकाइयों, सेवा इकाइयों एवं इनसे जुड़े हुए अनुषांगिक व्यापार, व्यवसाय का सुनियोजित एवं दीर्घकालिक विकास हो सके। राज्य के सभी जन–सामान्य एवं इच्छुक उद्यमियों को अनुकूल व सहयोगी प्रशासनिक वातावरण उपलब्ध कराना, जिससे राज्य में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का मार्ग सुगम हो सके। राज्य की सिंगल विण्डो प्रणाली को देश की सिंगल विण्डो प्रणाली के साथ एकीकृत करते हुए निरीक्षण के स्तर को तीन चरण में करते हुए राज्य को एक आकर्षक निवेश केन्द्र के रूप में विकसित किया जाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभागों द्वारा दी जाने वाली अनुमति, सम्मति एवं सहमति को ऑनलाइन

पोर्टल प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रक्रिया को इस प्रकार से सुविधाजनक बनाये जाने की योजना है, जिससे उपरोक्त सभी प्रकार के अभिलेख सुनिश्चित न्यूनतम समयावधि में उद्यमी को उपलब्ध हो सके।

राज्य में सभी विकासखण्डों को औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से नेटवर्क के रूप में विकसित किया जाना है। जिन क्षेत्रों में अधिक संभावना होगी, उन क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों/पार्क की स्थापना पहले करायी जायेगी। इस हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा भारत सरकार एवं राज्य शासन की सहायता से एवं विभाग के उपक्रम सीएसआईडीसी के द्वारा वित्तीय संस्थाओं से यथा आवश्यकता ऋण प्राप्त कर या राज्य शासन से अंशदान की सहायता लेते हुये अथवा स्वयं की वित्तीय सहायता से पिछड़े क्षेत्रों का विकास कराया जायेगा, जिससे सुगमता के साथ औद्योगिक इकाइयों, सेवा इकाइयों एवं अन्य औद्योगिक अनुषांगिक गतिविधियों के लिए विकसित भूमि, भूखण्ड, औद्योगिक भवन, शेड फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, प्लग–एंड–प्ले अधोसंरचना उपलब्ध करायी जा सके। राज्य में आवश्यकता के अनुसार नवीनतम तकनीक पर आधारित उद्यमों के विकास के लिए विशेष प्रावधान किये जायेंगे, यथा– टेक्सटाईल, फार्मास्यूटिकल्स, फार्मा–मेडिकल डिवाइस, फूड प्रोसेसिंग–कृषि उत्पाद संरक्षण संरचना, स्टील सेक्टर के डाउन स्ट्रीम उत्पादों पर आधारित उद्यमों का विकास एवं रक्षा क्षेत्र, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर निर्माण इकाइयों जैसे क्षेत्रों को अधिक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान करते हुए राज्य में उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनों के साथ–साथ कृषि एवं खाद्य उत्पाद, मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन का राज्य में ही मूल्य संवर्धन करते हुए आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जावेगा।

कोर सेक्टर पर आधारित अन्य उत्पादों यथा स्टील, सीमेंट, थर्मल पॉवर, एल्युमिनियम तथा कृषि एवं खाद्य उत्पाद, वनोपज उत्पादों को स्थानीय स्तर पर प्रसंस्कृत किये जाने से जुड़े कार्य सम्मिलित है को श्रृंखलाबद्ध तरीके से विकसित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही राज्य के प्रत्येक अंचल की अपनी स्वाभाविक विशेषताओं को स्थानीय निवासियों की उद्यमिता के साथ जोड़कर नवीन उत्पादों को विकसित किये जाने का उद्देश्य है। राज्य में उपलब्ध मानव संसाधन को कौशल विकास एवं अन्य प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार योग्य तैयार किये जाने पर विशेष प्रावधान किये गये है। इस हेतु राज्य में स्थापित होने वाली इकाईयों में कार्य करने वाले/नियोजित होने वाले कर्मचारियों को कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु मानदेय/प्रशिक्षण वृत्ति प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है । साथ ही भारत सरकार की ''**उद्यमिता विकास संस्थान केन्द्र**'' की स्थापना की जा रही है। कोर सेक्टर उद्यमों के अतिरिक्त विभिन्न सेक्टरों में नये निवेश को आकर्षित करना एवं इसके माध्यम से भौगोलिक स्थिति का अधिकतम लाभ लेकर उपभोक्ता वस्तुओं का किफायती दरों पर उत्पादन करने का भी लक्ष्य रखा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक एवं रोबोटिक्स तकनीक के उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी के उद्यम एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्यम तथा जैव प्रौद्योगिकी जैसे आधुनिक युग के उद्यम के क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा जा रहा है, जिससे राज्य में स्थापित उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थाओं यथा–आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, आईआईएम एवं बड़ी संख्या में विद्यमान इंजीनियरिंग कालेजों से शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को राज्य में ही कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके।

औद्योगिक विकास नीति 2024–30 में राज्य के सभी जिलों के विकासखंडों को तीन श्रेणियों यथा –**समूह (एक), (दो) एवं (तीन)** में विभाजित कर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की मात्रा का निर्धारण गया है।

औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के अंतर्गत राज्य में स्थापित होने वाले मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाईयों को बढ़ावा देने हेतु पृथक से राज्य शासन द्वारा राशि रू. 50 करोड़ के कॉर्पस फंड का निर्माण किया जावेगा। जिससे छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप इकाईयों को अनुदान, छूट एवं रियायतें प्रदान कर विशेष पैकेज के तहत अधिक लाभान्वित किया जावेगा।

औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा जिन निवेशकों के लिये बी–स्पोक पैकेज अधिसूचित किया जा चुका है ऐसे निवेशकों को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वे पूर्व औद्योगिक नीति के अंतर्गत उनके पक्ष में अधिसूचित पैकेज के अंतर्गत दिये जाने वाले औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का विकल्प, संबंधित अधिसूचिना पैकेज में वर्णित शर्तो के साथ ही/शर्तों के अधीन यथावत प्राप्त कर सकेगें।

(2) विशिष्ट उत्पाद उद्योग/सेक्टर

राज्य में वर्तमान आवश्यकताओं एवं राज्य में हो रही खपत की स्थिति को ध्यान में रखकर''**विशिष्ट उत्पाद उद्योग/सेक्टर यथा – फॉर्मास्युटिकल, टेक्सटाईल, फूड प्रोसेसिंग, कृषि उत्पाद संरक्षण, एनटीएफपी उत्पाद प्रसंस्करण, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई), रोबोटिक्स एंड कम्प्यूटिंग (जीपीयू), आईटीएवं आईटीईएस**''आदि के लिए पृथक आक्रषक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की नीति को अपनाया जा रहा है जिससे इन उत्पाद/उद्योग/सेक्टर विशेष के उद्यमों में निवेश को राज्य में आकर्षित किया जा सके ।**यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि इन सेक्टरों में प्रथम पांच एंकर निवेशकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।**

(3) छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति 2023–28

राज्य की महिलाओं की सहभागिता उद्यम में सुनिश्चित करने, उद्यम स्थापित कर आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत **छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति 2023–28** लागू की गई है। यह नीति दिनांक 01.04.2023 से 05 वर्ष अर्थात दिनांक 31.03.2028 तक की अवधि हेतु लागू है।

(4) विशेष निवेश प्रोत्साहन (**Special Investment Provision**)

राज्य सरकार द्वारा राज्य हित में इस नीति के तहत् वृहद निवेश के लिये मंत्री मण्डलीय उप समिति का गठन किया गया है। इस समिति के द्वारा नीति में निर्धारित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के अतिरिक्त किसी विशेष उद्योग में होने वाले महत्वपूर्ण निवेश को ध्यान में रखते हुये विशेष निवेश प्रोत्साहन सुविधाओं को प्रदान किये जाने के बारे में प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय कर सकेगी। इस मंत्री मण्डलीय उप समिति में निम्नानुसार सदस्य होगें :–

क्रं.	विभाग का नाम	पदनाम
1	मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़	अध्यक्ष
2	मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग	सदस्य
3	मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग	सदस्य
4	मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, अन्य विभाग यथा आवश्यकता	सदस्य (विशेष आमंत्रित)
5	मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	सदस्य सचिव

1. इस नीति अंतर्गत राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों को स्थापना की अनुमतियां/सम्मतियां प्रदान किये जाने में विभिन्न विभागों की ओर से लागू नियम, प्रक्रियाओं को सरलीकृत किये जाने के संबंध में सभी विभागों से समन्वय कर एकीकृत अनुमति/सम्मति प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। इस हेतु राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को सुदृढ़ किया जायेगा। इस प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा। जो कि नियमित अंतराल में निवेश के प्रस्तावों के संबंध में प्रगति की समीक्षा कर सकेगी।

2. राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों को इस नीति के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की प्रक्रिया को यथासंभव ''गैर संपर्ककृत'' (No Physical Contact) प्रणाली के अंतर्गत लाये जाने हेतु ऑनलाईन प्रणाली को पारदर्शी, अधिक सशक्त, समयबद्ध एवं क्रियाशील किया जायेगा। यथासंभव समस्त अनुदान/छूट/रियायतों के प्रदान की जाने की प्रक्रिया को इस प्रणाली से जोड़ा जावेगा।

3. उद्योगों को स्थापित किये जाने के लिये लगने वाले समय को न्यूनतम किये जाने के उपायों पर विचार एवं नियमों में आवश्यक प्रावधान किये जावेगें।

(5) छत्तीसगढ़ राज्य बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज :–

राज्य में स्थापित किंतु बंद, बीमार एवं अवरुद्ध निवेश उद्यम जिनकी परिसंपत्ति को किसी अन्य उद्यमी/फर्म/कंपनी द्वारा एन.सी.एल.टी. (National Company Law Tribunal), सरफेसी एक्ट, वित्तीय संस्थानों के द्वारा विभिन्न नियमों के तहत अधिग्रहित कर लिये जाने के कारण अकार्यशील हो जाती है, ऐसे उद्यमों में निवेशित राशि के राज्य हित में सदुपयोग की दृष्टि से बंद, बीमार एवं अवरुद्ध निवेश उद्यम के पुर्नवास हेतु इस नीति में प्रावधानित पैकेज के माध्यम से पुर्नसंचालित, क्रियाशील किये जाने हेतु औद्योगिक विकास नीति 2024–30 अंतर्गत् **अध्याय–(द–4) ''बंद एवं बीमार उद्यमों हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज''** का प्रावधान किया गया है।

(6) औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के अंतर्गतवर्ष 2024–25 में जारी अधिसूचनाएं एवं आदेश :–

क्र	विषय	अधिसूचना/प्रशासकीय आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	छत्तीसगढ़ राज्य अंश पूंजी अनुदान नियम, 2024	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र एफ 20–47/2024/11/6 दिनांक 02.01.2025

2.	औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु विकल्प प्रमाण पत्र	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र एफ 20—61/2024/11/6 दिनांक 02.01.2025
3.	स्टाम्प शुल्क छूट प्रमाण पत्र	वाणिज्य कर (पंजीयन) विभाग की अधिसूचना क्र.एफ 10—40/2024/वा.क.(पं.)/पांच/(16),(17),(18),(19) दिनांक 14.02.2025
4.	उद्यम आकांक्षा अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र अधिसूचना, 2024	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र.110, दिनांक 14.02.2025
5.	छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रमाण—पत्र नियम, 2024	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र.111, दिनांक 14.02.2025
6.	छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रामाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान तथा प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम, 2024	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र.112, दिनांक 14.02.2025

(7) वित्तीय वर्ष 2024—25 में (अप्रैल 2024 से दिसंबर, 2024 तक) औद्योगिक विकास से संबंधित उपलब्धियां :—

7.1 प्रस्तावित पूंजी निवेश की स्थिति —

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 16वीं बैठक दिनांक 28.10.2024 में निवेशकों के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू निष्पादन करने के स्थान पर ''**इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट**'' जारी करने का निर्णय लिया गया है, जिसके परिपालन में अब तक 28 इकाइयों को ''**इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट**'' जारी किया गया है, जिसमें रूपये 45468.82 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है।

7.2 वर्ष 2024—25(अप्रैल, 2024 से दिसंबर, 2024 तक) में औद्योगिक इकाइयों को प्रदाय/वितरित की गयी अनुदान, छूट व रियायतें :—

क्र.	विवरण	इकाईयों की संख्या	राशि (लाख में)
1.	ब्याज अनुदान	1490	3483.33
2.	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान	650	22800.00
3.	मार्जिन मनी अनुदान	25	657.90
4.	छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत अनुदान	09	656.68
5.	स्टाम्प शुल्क भुगतान से छूट प्रमाण—पत्र	680	--
6.	विद्युत शुल्क से छूट हेतु अनुशंसा पत्र	108	--
7.	प्राथमिकता उद्योग मान्यता प्रमाण पत्र	81	--
8.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी (ऑनलाईन)	1174	--
9.	मण्डी शुल्क से छूट	9	70.00

10.	अनुसूचित जनजाति / जाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट / रियायत	16	55.59
11.	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान	57	105.05
12.	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान	5	12.43
13.	प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान	1	2.95
14.	औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर (भूमि बैंक) भू–आबंटन सेवा शुल्क से रियायत	1	--

7.3 सेमीनार / वर्कशॉप / संगोष्ठियों का आयोजन :–

शासन की विभिन्न स्व–रोजगार मूलक योजनाएं जैसे–प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, स्टार्ट–अप योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जानकारी एवं उद्योग स्थापना हेतु राज्य में लागू ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अंतर्गत राज्य में विभिन्न जिलों के विकासखण्ड स्तर पर सेमीनार / कार्यशाला / संगोष्ठी एवं रोजगार मेला का आयोजन किया गया।

नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024–30 अंतर्गत राज्य में निवेश आकर्षित करने हेतु नई दिल्ली तथा रायपुर में इन्वेस्टर कनेक्ट संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

7.4 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन :–

भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 लागू किया गया है। यह अधिनियम 02 अक्टूबर, 2006 से प्रभावशील है। इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2020 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषाएं संशोधित की गयी है जिसके अनुसारइन उद्यमों में सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम उद्यमों हेतु यंत्र एवं संयंत्र में निवेश सीमा क्रमशः 01 करोड़, 10 करोड़ एवं 50 करोड़ तक तथा टर्न ओवर क्रमशः 5 करोड़ तक, 50 करोड़एवं 250 करोड़ तक निर्धारित की गयी है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुरूप राज्य की नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024–30 में भी उपरोक्त परिभाषा को ही मान्य किया गया है। औद्योगिक विकास नीति के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए इकाई के स्तर के निर्धारण के लिए मात्र संयंत्र और मशीनरी एवं उपस्कर में निवेश राशि के आधार पर गणना की जावेगी।

राज्य शासन ने औद्योगिक नीति व अन्य नीतियों में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अधिसूचित अभिलेख ई.एम. पार्ट–1 के स्थान पर राज्य में ''उद्यम आकांक्षा''(Udyam Aakansha) दाखिल करने की ऑनलाईन व्यवस्था दिनांक 18.09.2016 से प्रभावशील है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं / सामग्रियों की आपूर्ति के पश्चात् क्रेताओं द्वारा समय पर भुगतान न करने अथवा भुगतान संबंधित विवादों के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ

20–10/2007/11/(6), दिनांक 09.09.2024 के तहत नवीन दो वर्षीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल का गठन किया गया है। काउंसिल के अध्यक्ष संचालक उद्योग तथा 4 अन्य वित्त एवं आर्थिक क्रियाकलापों के विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। विवादों के निराकरण की प्रक्रिया सतत रूप से निरंतर चलती रहती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में (दिसम्बर 2024 तक) कुल 58 आवेदनों का पंजीयन किया गया है एवं प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।

7.5 स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति (अप्रैल, 2024 से दिसम्बर, 2024 तक) :–

(1) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :–

1. भौतिक लक्ष्य–1307 वित्तीय लक्ष्य–3702.28 लाख
2. स्वीकृत प्रकरण–1282 स्वीकृति मार्जिन मनी राशि रू.–5266.90 लाख
3. मार्जिन मनी वितरित–536 वितरित मार्जिन मनी राशि रू. –1589.28 लाख

(2) स्टैण्ड–अप इंडिया योजना :–

राज्य में प्रत्येक बैंक शाखाओं को न्यूनतम 2 प्रकरणों में ऋण वितरण का लक्ष्य रख गया है।

1. ऋण स्वीकृति प्रकरण–827 स्वीकृत राशि–223.71 लाख
2. ऋण वितरित प्रकरण–802 वितरित राशि–201.65 लाख

(3) प्रधानमंत्री मुद्रा योजनाः–

(राशि करोड़ में)

शिशु (रू. 50,000)			किशोर (रू 50,001 से रू. 5.00 लाख)			तरूण (रू. 5.00 लाख से रू. 10.00 लाख)			**कुल**			**उपलब्धि(%)**	
खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (1+4+7)	11 (2+5+8)	12 (3+6+9)	13	14
427178	1493.41	1460.23	283195	3750.90	3251.72	21252	1718.90	1629.55	731625	6963.21	6342.50	74.41	72.77

(4) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना –

1. भौतिक लक्ष्य–2865**(Cumulative)**
2. ऋण स्वीकृति प्रकरण –826 स्वीकृत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी–154.57 करोड़
3. वितरितप्रकरण – 661 वितरित क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी–94.99 करोड़

(5) छत्तीसगढ़ स्टार्ट–अप योजना–

1. स्टार्टअप इको सिस्टम को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के अंतर्गत "छत्तीसगढ़ स्टार्टअप पैकेज" लागू किया गया है जिसके अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन हेतु निमानुसार प्रावधान किये गए हैं – कॉर्पस फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, किराया अनुदान,स्टाम्प शुल्क से छूट, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान एवं औद्योगिक विकास नीति 2024–30 में प्रावधानित अन्य अनुदान, छूट एवं रियायतों की नियमानुसार पात्रता होगी।
2. उक्त स्टार्टअप पैकेज में इन्क्यूबेटर्स के प्रोत्साहन हेतु भी प्रावधान किये गए हैं जैसे स्थापना हेतु किये गये व्यय पर अनुदान एवं संचालन हेतु अनुदान।
3. लगातार प्रयास से राज्य में स्टार्टअप इको सिस्टम का विकास हुआ है तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त राज्य के स्टार्टअप की संख्या दिसंबर, 2024 की स्थिति में 1659 हो चुकी है।

8. उद्योग संचालनालय के अधीन विभिन्न जिलों में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र की जानकारी

क्र.	जिला	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हे. में)	आबंटन योग्य भूमि (हे. में)	आबंटित भूमि (हे. में)
1	2	3.	4.	5.	6.
औद्योगिक क्षेत्र (100 हेक्टेयर से अधिक)					
1	दुर्ग	भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई	550.372	162.532	162.532
2	दुर्ग	हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई	289.812	185.808	185.808
		योग :–	**840.184**	**348.340**	**348.340**
औद्योगिक क्षेत्र (50 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर तक)					
3	दुर्ग	औद्योगिक संस्थान भिलाई	89.649	82.613	82.613
4	जगदलपुर	औद्योगिक क्षेत्र, कुरन्दी	74.750	8.387	8.387
		योग :–	**164.399**	**91.000**	**91.000**
औद्योगिक क्षेत्र (50 हेक्टेयर तक)					
5	कोरबा	औद्योगिक क्षेत्र, कोरबा	40.000 (सीमांकन अनुसार 37.630 हे.)	22.457	22.457
6	दुर्ग	औद्योगिक संस्थान, दुर्ग	21.736	16.313	16.313
7	दुर्ग	औद्योगिक क्षेत्र,ग्राम बोड़ेगांव	8.158	5.061	5.061
8	रायगढ़	अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, रायगढ़	9.860	5.202	5.202
9	रायगढ़	ग्रामीण कर्मशाला पुसौर	0.942	0.418	0.418
10	जांजगीर–चांपा	औद्योगिक क्षेत्र, कोरबा रोड चांपा	8.720	5.090	5.090
11	जगदलपुर	औद्योगिक क्षेत्र, गीदम रोड़	13.658	10.567	10.567
12	जगदलपुर	अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, फ्रेजरपुर	12.760	12.727	12.727
13	जगदलपुर	औद्योगिक क्षेत्र, पंडरीपानी	4.876	4.876	4.876
14	राजनांदगांव	औद्योगिक संस्थान, ममता नगर, राजनांदगांव	7.769	7.237	7.237
15	राजनांदगांव	औद्योगिक क्षेत्र, सोमनी	4.046	2.043	2.043
16	राजनांदगांव	औद्योगिक क्षेत्र, मोहारा	2.428	2.417	2.417
17	राजनांदगांव	औद्योगिक क्षेत्र, गठुला	1.618	0.404	0.404

क्र.	जिला	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हे. में)	आबंटन योग्य भूमि (हे. में)	आबंटित भूमि (हे. में)
1	2	3.	4.	5.	6.
18	राजनांदगांव	ग्रामीण कर्मशाला, डोंगरगढ़	1.214	0.708	0.708
19	सरगुजा	अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, अंबिकापुर	9.49	7.06	7.06
20	सरगुजा	औद्योगिक क्षेत्र, अजीरमा	6.07	4.00	4.00
21	जशपुर	अर्द्धशहरीय औद्योगिक क्षेत्र, गम्हरिया	4.047	2.885	1.384
22	कोण्डागांव	औद्योगिक क्षेत्र, आड़काछेपड़ा, कोण्डागांव	2.63	2.15	2.15
23	कोरिया	औद्योगिक क्षेत्र, चैनपुर	2.485	2.286	2.286
24	कोरिया	ग्रामीण कर्मशाला बैकुण्ठपुर	0.111	0.111	0.111
25	नारायणपुर	ग्रामीण कर्मशाला नारायणपुर	2.12	1.71	1.71
		योग :—	**162.368**	**115.722**	**114.221**
		कुल योग :—	**1166.951**	**555.062**	**553.561**

9. प्रस्तावित नवीन फूडपार्क की स्थापना की अद्यतन जानकारी :—

(1) राजस्व विभाग से 59 विकासखण्डों में चयनित शासकीय भूमि का हस्तांतरण उद्योग विभाग को किया जा चुका है, जिसमें से 55 विकासखंडों की कुल रकबा 640.220 हेक्टे. शासकीय भूमि का आधिपत्य विभाग को प्राप्त हो गया है तथा शेष 04 विकासखंडों की 46.754 हेक्टे. विभाग को हस्तांतरित शासकीय भूमि का आधिपत्य प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) विभाग को आधिपत्य में प्राप्त 55 विकासखण्डों में से 41 विकासखण्डों की कुल रकबा 527.595 हेक्टे. भूमि का आधिपत्य छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, रायपुर को सौंपा जा चुका है जिसमें से 19 विकासखण्डों में फूडपार्क की स्थापना हेतु शासन से प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। शासन से प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् 05 विकासखण्ड क्रमशः ग्राम—रामकृष्णपुर, जिला—उत्तर बस्तर कांकेर, ग्राम—चिकनीपानी, जिला—जशपुर, ग्राम—सुरसाबांधा, जिला—गरियाबंद, ग्राम—केवरा, जिला—सूरजपुर तथा ग्राम—फूलपुर, जिला—कोरिया के फूडपार्क स्थापनाको शासन के पत्र क्र. एफ 18—11/2024/11/(6) दिनांक 29.08.2024 के माध्यम से निरस्त किए गए हैं।

(3) राज्य में फूडपार्को की स्थापना की प्रगति :—

क्र.	जिले का नाम	ग्राम का नाम	रिमार्क
1	2	3	4
1.	सुकमा	सुकमा	अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण। भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
2.	जशपुर	फरसाबहार	अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण। भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

क्र.	जिले का नाम	ग्राम का नाम	रिमार्क
1	2	3	4
3.	सरगुजा	रिखी	अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण। भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
4.	राजनांदगांव	पांगरीखुर्द	अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण। भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
5.	सरगुजा	उलकिया	अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण। भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
6	जशपुर	बरबसपुर	अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण। भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
7	जशपुर	नारायणबहली	अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण। भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
8	मुंगेली	हथकेरा–बिदबिदा	अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण। भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
9	रायपुर	खपरीखुर्द	अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण। भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
10.	सुकमा	पाकेला	अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर।
11.	सुकमा	फन्दीगुड़ा	अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर।
12.	बेमेतरा	चन्दनू–रवेली	अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर।
13.	धमतरी	श्यामतराई	अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर।
14.	बस्तर	धुरागांव	फूडपार्क हेतु आबंटित भूमि पंचवन में होने के कारण वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था प्रक्रियाधीन है।
15	जशपुर	चिकनीपानी	प्रशासकीय विभाग के पत्र दिनांक 29.08.24 द्वारा कार्य निरस्त किया गया।
16.	कांकेर	रामकृष्णपुर	प्रशासकीय विभाग के पत्र दिनांक 29.08.24 द्वारा कार्य निरस्त किया गया।
17	सूरजपुर	केवरा	प्रशासकीय विभाग के पत्र दिनांक 29.08.24 द्वारा कार्य निरस्त किया गया।
18	कोरिया	फूलपुर	प्रशासकीय विभाग के पत्र दिनांक 29.08.24 द्वारा कार्य निरस्त किया गया।
19	गरियाबंद	सुरसाबांधा	प्रशासकीय विभाग के पत्र दिनांक 29.08.24 द्वारा कार्य निरस्त किया गया।

(4) मंत्रिपरिषद के अद्यतन निर्णय के द्वारा फूडपार्क के लिये विभाग को प्राप्त भूमियों के प्रयोजन में ''फूडपार्क की स्थापना'' के स्थान पर ''फूडपार्क एवं अन्य औद्योगिक प्रयोजन'' करने हेतु निर्देशित किया गया है।

10. **छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011**— उद्योग संचालनालय में 01 अप्रैल, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक की स्थिति में कुल प्राप्त 792 नवीन आवेदनों में से 535प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है तथा लंबित 257प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में कर

लिया जावेगा। इसी प्रकार उद्योग संचालनालय के अधीनस्थ जिला कार्यालयों में माह अप्रैल, 2024 से दिसम्बर, 2024 तक की स्थिति में कुल प्राप्त 6293 आवेदनों में से 5339प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है तथा लंबित 954प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में कर लिया जावेगा।

11. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की आवश्यक जानकारी :–

क्र.	विवरण	संख्या
1.	प्राप्त आवेदनों की संख्या	149
2.	निराकृत आवेदनों की संख्या	145
3.	प्रक्रियाधीन आवेदनों की संख्या	04
प्रथम अपील		
1.	प्रथम अपील आवेदनों की संख्या	7
2.	निराकृत आवेदनों की संख्या	7
3.	प्रक्रियाधीन आवेदनों की संख्या	0
द्वितीय अपील		
1.	द्वितीय अपील आवेदनों की संख्या	0
2.	निराकृत आवेदनों की संख्या	0
3.	प्रक्रियाधीन आवेदनों की संख्या	0

पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं

कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ, विभागाध्यक्ष कार्यालय है। इसका मुख्यालय नवा रायपुर में है एवं विभागाध्यक्ष रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रकरण अधिनियम, 1973एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत पंजीयन का कार्य सौंपा गया है। इस कार्यालय के अधीन सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएँ के चार कार्यालय बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग एवं बस्तर संभाग में कार्यरत हैं।

1. **विभागाध्यक्ष कार्यालय से संबंधित सामान्य जानकारी :–**

1.1. **भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932:–** इस अधिनियम के अधीन भागीदारी फर्म का पंजीयन किया जाता है। समय–समय पर भागीदारों में व फर्मों की रचना में परिवर्तन होने हैं, उनको भी रिकार्ड में लिया जाता है तथा फर्मों में भागीदारों अन्य द्वारा चाहे जाने पर प्रलेखों की प्रतियां जारी की जाती है।

1.2 **छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 :–** अधिनियम के अधीन शैक्षणिकसांस्कृतिक, सामान्य, जन कल्याण कारी व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय एजेंसियों, अर्द्ध शासकीय संस्थाओं का भी समिति का पंजीयन किया जाता है। पंजीकृत संस्थाओं की जांच, विशेषऑडिट, निरीक्षण, प्रशासक की नियुक्ति आदि जैसे कार्य किये जाते है। संस्था के विधान में जो समय–समय पर जो संशोधन किया जाता है। उनको भी अनुमोदन कर रिकार्ड पर लिया जाता है। संस्था द्वारा प्रेषित जानकारियों पर भी कार्यवाही की जाती है।

1.3 सोसायटी का पंजीयन ऑनलाईन दिनांक 30.06.2017 से प्रारंभ है एवं संशोधन दिनांक 02.2018 सेप्रारंभ है। धारा 27 / 28 की वार्षिक जानकारी प्रसतुत करने की कार्यवाही को ऑनलाईन जनवरी 2025 से प्रारंभ किया गया है।

1.4 फर्म का पंजीयन ऑनलाईन दिनांक 30.06.2017 से प्रारंभ है एवं ऑनलाईन परिवर्तन दिनांक 15.05.2018 से प्रारंभ है।

1.5 ऑनलाइन पंजीयन हेतु वेबसाइट rfas.cg.nic.inहै, इसके अंतर्गत 24X7 समय में प्रकरण आवेदकों से अपने स्थान से ही पंजीयन प्रकरण जमा करने एवं पंजीयन पंजीयन प्रमाण पत्र भी स्थानीय स्तर पर प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। इस हेतु आवेदकों को किसी भी कार्य हेतु इस कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नही है।

1.6 प्रत्येक पंजीकृत होने वाली एवं आवेदित आवेदनों पर की गई कार्यवाही की जानकार 2017 से एस.एम.एस. (SMS)अलर्ट द्वारा प्रेषित की जाती है।

2. **अन्य कार्यवाहियां :–**

2.1 इस कार्यालय में छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 प्रभावशील है, जिसके तहत् निम्नांकित सेवाएं सम्मिलित हैं –

1. समिति रजिस्ट्रेशन — 15 कार्य दिवस

2. भागीदारी फर्म रजिस्ट्रेशन	07 कार्य दिवस
3. अधिनियम की धारा 21 के अधीन पूर्वानुमति हेतु आवेदन पर कार्यवाही	30 कार्य दिवस

2.2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत, 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक कुल 306 प्राप्त प्रकरण निराकृत किये जा चुके हैं।

3. **सोसायटी एवं फर्म की पंजीयन संख्या** – इस विभाग द्वारा उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत 01.04.2024 से 31.12.2024 तक किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है –

3.1 छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 केअधीन पंजीकृत समितियों की संख्या :–

पंजीकृत समितियाँ (दिनांक 01.04.2024से 31.12.2024 तक)	–	3329
कुल पंजीकृत समितियों की संख्या	–	156134

3.2भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत् पंजीकृत फर्म्स

पंजीकृत फर्म (दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024 तक)	–	1273
कुल पंजीकृत फर्मों की संख्या	–	56570

3.3 समिति एवं फर्मों के पंजीयन परिवर्तन/संशोधन एवं धारा 27/28 के अधीन वार्षिक जानकारी प्रस्तुत करने के कार्य ऑनलाईन प्रारंभ किए गए हैं।

4. **राजस्व प्राप्तियाँ** – भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 एवं छत्तीसगढ़ सोसायटीरजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के तहत् समितियों तथा फर्मों के पंजीयन एवं प्रशासन के अधीन विभाग को राजस्व प्राप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 31.12.2024 तक) में निर्धारित लक्ष्य रूपये 6.00 करोड़ के विरूद्ध रूपये 4.77 करोड़ राजस्व प्राप्ति हुई है।

वाष्पयंत्र निरीक्षकालय

वाष्पयंत्रों से संबंधित औद्योगिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा बॉयलर अधिनियम, 1923 बनाया गया है व इसी अधिनियम के तहत बॉयलर विनियम, 1950 बनाए गए हैं। इस अधिनियम को राज्य में लागू करने हेतु राज्य शासन द्वारा वाष्पयंत्र निरीक्षकालय की स्थापना की गई है। बॉयलर अधिनियम, 1923 व इसके तहत बनाए गए विनियमों एवं नियमों को राज्य में लागू करने का कार्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय करता है ताकि वाष्पयंत्रों से संबंधित औद्योगिक सुरक्षा बनी रहे।

दिनांक 01–04–2024 से 31–12–2024 तक की अवधि में कार्य निष्पादन का विवरणः–

1. **वाष्पयंत्रों का निरीक्षण** :–उपरोक्त अवधि में किये गए कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	विवरण	संख्या
1	संपूर्ण निरीक्षण (विभागीय–1029, स्वप्रमाणीकरण–77)	1106
2	जलभार परीक्षण	922
3	नये वाष्पयंत्रों का पंजीयन	68
4	वाष्पयंत्रों के प्रमाण–पत्रों का नवीनीकरण	968
5	वाष्पयंत्रों का अनंतिम प्रमाण–पत्र	61
6	दुरुस्त हुए वाष्पयंत्र	132

राज्य में कुल 1765 वाष्पयंत्र स्थापित हैं। जिनमें से कुल 1428 वाष्पयंत्र वर्तमान में कार्यरत हैं। दिनांक 01/04/2024 से 31/12/2024 तक की अवधि में कुल 1106 (लगभग 77.45 प्रतिशत) वाष्पयंत्रों के संपूर्ण निरीक्षण (विभागीय 1029 एवं स्वप्रमाणीकरण 77) किये गये हैं।

2. वाष्पयंत्र निरीक्षण की प्रक्रिया का सरलीकरण :–

भारत सरकार कीEase of doing businessतथा राज्य सरकार की औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के तहत वाष्पयंत्रों की निरीक्षण की प्रक्रिया का सरलीकरण करने हेतु वाष्पयंत्रों के स्वप्रमाणीकरण की व्यवस्था राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20/03/2015 द्वारा लागू की गई है। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत इकाईयां प्रशिक्षित बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर से वाष्पयंत्र का निरीक्षण करा सकेगी। वर्तमान में राज्य में स्थापित कुल 26 इकाईयों द्वारा वाष्पयंत्रों के स्वप्रमाणीकरण की व्यवस्था का लाभ लिया जा रहा है। दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024 तक की अवधि में कुल 77 वाष्पयंत्रों के स्वप्रमाणीकरण हुये हैं।

वाष्पयंत्रों के प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण एवं नये वाष्पयंत्रों के पंजीयन के ऑन–लाइन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। विभिन्न आवेदनों के साथ प्राप्त होने वाले

प्रपत्रों / घोषणा पत्र / शपथ पत्र आदि में नोटरी / राजपत्रित अधिकारी / मजिस्ट्रेट से सत्यापन की अनिवार्यता समाप्त की गई एवं उक्त दस्तावेजों का स्वप्रमाणीकरण मान्य किया गया है।

3. बॉयलर अधिनियम – 1923 की धारा 34(2) के तहत छूट :–

वाष्पयंत्र का निरीक्षण एवं परीक्षण करने के उपरांत ठीक पाए जाने की स्थिति में वाष्पयंत्र का उपयोग करने हेतु एक वर्ष की अवधि का प्रमाण पत्र निरीक्षण दिनांक से जारी किया जाता है। उक्त प्रमाण पत्र की अवधि समाप्ति पर वाष्पयंत्र बंद कर इकाईयों द्वारा निरीक्षण एवं परीक्षण कराकर प्रमाण पत्र का पुनः नवीनीकरण कराया जाता है। कभी–कभी आपात स्थिति में जब इकाइयों द्वारा प्रमाण पत्र की अवधि समाप्ति पर वाष्पयंत्र बंद करना संभव नहीं होता है तब प्रमाण पत्र की अवधि के पश्चात् वाष्पयंत्र का उपयोग जारी रखने हेतु इकाइयों द्वारा राज्य शासन से अधिनियम की धारा 34(2) के तहत छूट प्राप्त की जाती है। यह छूट मुख्यतः पावर प्लांट के वाष्पयंत्रों को सीमित अवधि हेतु दी जाती है जिससे राज्य में विद्युत की उपलब्धता प्रभावित न हो सके। उक्त अवधि में छूट का विवरण निम्नानुसार है :–

स. क्र.	वाष्पयंत्र क्रमांक	इकाई का नाम	छूट की अवधि
1.	एमपी / 3555	मे. छ.ग.राज्य विद्युत उत्पादन कं.लि. कोरबा, (पश्चिम)	दिनांक 17.05.2024 से 16.06.2024
2.	सीजी / 614	मे. भारत एल्युमिनियम कंपनी लि., बाल्को, कोरबा	दिनांक 07.06.2024 से 06.11.2024
3.	सीजी / 489	मे. छ.ग.राज्य विद्युत उत्पादन कं.लि. कोरबा, (पूर्व)	दिनांक 17.08.2024 से 16.10.2024

4. केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड –

मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड, भारत सरकार नई दिल्ली के सदस्य हैं एवं छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड एक तकनीकी संस्था है जिसका प्रमुख कार्य बॉयलर तकनीक में होने वाली निरंतर प्रगति को ध्यान में रखकर भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 में समय–समय पर संशोधन करना होता है। भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 की विभिन्न धाराओं में प्रस्तावित संशोधनों के आवेदनों पर वाष्पयंत्र निरीक्षकालय अपना तकनीकी अभिमत समय–समय पर केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड को प्रेषित कर रहा है। अधिनियम में बॉयलर अटेंडेंट परीक्षा के नियम, बॉयलर आपरेशन इंजीनियर परीक्षा के नियम, पंजीयन शुल्क छोड़कर अन्य समस्त शुल्कों का निर्धारण करने के नियम तथा अधिकारियों की अर्हता निर्धारण करने के नियम बनाने के अधिकार भारत सरकार तथा केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड को दिये गये हैं। अधिनियम में राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय के समानांतर प्राइवेट कंपीटेंट पर्सन, निरीक्षण प्राधिकारी तथा कंपीटेंट प्राधिकारी की व्यवस्था केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड द्वारा की गई है।

5. **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 –**

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार वाष्पयंत्र निरीक्षकालय छत्तीसगढ़, रायपुर हेतु अपर संचालक उद्योग को प्रथम अपीलीय अधिकारी, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र को लोक सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र को सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत वाष्पयंत्र निरीक्षकालय में 01–04–2024 से 31–12–2024 तक की अवधि में कुल 03 आवेदन प्राप्त हुआ जिसका निराकरण समयावधि में किया गया।

6. **छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011–दिनांक** 01–04–2024 से 31–12–2024 तक की अवधि में कुल 1128 आवेदन प्राप्त हुये जिसका निराकरण समय सीमा के भीतर किया गया। इससे संबंधित कोई शिकायत या अपील का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

7. **अभियोजन एवं अपील –दिनांक** 01–04–2024 से 31–12–2024 तक की अवधि में अभियोजन अथवा अपील का कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

8. **बजट एवं वित्तीय स्थितिः**–वाष्पयंत्र निरीक्षकालय को स्थापना व्यय हेतु आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत बजट का आबंटन होता है। वर्ष 2024–25 में रु. 305.30 लाख का बजट अनुमोदित हुआ। वाष्पयंत्रों एवं स्पेयर निर्माण के निरीक्षण शुल्क से राज्य शासन को राजस्व की प्राप्ति होती है। वर्ष 2024–25 हेतु रु. 300.00 लाख के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसकी पूर्ति माह नवंबर–2024 तक हो चुकी है।

दिनांक 01/04/2024 से 31/12/2024 तक की अवधि में आय–व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

राजस्व प्राप्ति	व्यय	शुद्ध बचत
रु. 353.13 लाख	रु. 192.01 लाख	रु. 161.12 लाख

9. **प्रमुख कार्य एवं उपलब्धियाँ :–**

(1) Ease of Doing Businessनीति तथा राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के अनुरूप बायलरों के सेल्फ सर्टीफिकेशन/थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की व्यवस्था राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 8–2/2011/11/(6) दिनांक 20.03.2015 द्वारा एवं समसंख्यक संशोधित अधिसूचना दिनांक 22.03.2019 द्वारा लागू की गई। इस व्यवस्था के तहत 01–04–2024 से 31–12–2024 तक की अवधि में कुल 77 वाष्पयंत्रों का स्वप्रमाणीकरण किया गया।

(2) राजस्व प्राप्ति रू. 300.00 लाख का लक्ष्य पूर्ण हुआ। 01/04/2024 से 31/12/2024 तक की अवधि में कुल राजस्व प्राप्ति रू. 353.13 लाख के विरूद्ध कुल राजस्व व्यय रू. 192.01 लाख हुई जिससे शासन को रु. 161.12 लाख की शुद्ध बचत हुई।

(3) राज्य में हो रहे तीव्र औद्योगिक विकास के अंतर्गत वाष्पयंत्रों के स्पेयर पार्ट्स निर्माण करने वाली 06 इकाईयां वर्तमान में कार्यरत हैं। इन इकाईयों द्वारा निर्मित किये गये स्पेयर पार्ट्स की छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न प्रांतों में अच्छी मांग है।

(4) बॉयलर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत राज्य में अभियोजन अथवा अपील का कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

(5) केन्द्रीय बायलर बोर्ड, भारत सरकार द्वारा मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र को राज्य में निर्मित होने वाले वाष्पयंत्रों एवं उनके कलपुर्जों के निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु निरीक्षण प्राधिकारी का दर्जा प्रदान किया गया है।

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड

राज्य में निवेश के इच्छुक उद्यमियों को सहयोग देने और उद्योग स्थापित करने हेतु आवश्यक क्लियरेंस तत्परता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड तथा जिला निवेश प्रोत्साहन समितियों का गठन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, बोर्ड के अध्यक्ष तथा भारसाधक सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, बोर्ड के पदेन संयोजक हैं। जिला समितियों के चेयर पर्सन, संबंधित जिले के कलेक्टर तथा महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पदेन संयोजक हैं।

रूपये 10 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति हेतु बोर्ड कार्यालय ''राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी'' के रूप में निवेशकों के लिए ''एकल संपर्क बिन्दु'' के रूप में कार्य करता है, जिससे निवेशकों को अपनी परियोजना से संबंधित सभी कार्यों के लिए विभिन्न कार्यालयों/विभागों से संपर्क करने के स्थान पर एक ही स्थल से संपर्क कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम, 2004 बनाये गये हैं। इस नियम के द्वारा निवेशकों को सभी विभागों/एजेंसियों से सहमति/अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई है ।

(1) **राज्य गठन से दिसम्बर, 2018 तक** निष्पादित एमओयू में 126 एमओयू वर्तमान में प्रभावशील है (ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, 2012 के तहत निष्पादित एमओयू को छोड़कर), जिसमें कुल रूपये 2,08,836.47 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है । इनमें से 67 परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है।इन प्रभावशील एमओयू परियोजनाओं में अभी तक रूपये 92472 करोड़ का पूंजी निवेश हो चुका है ।

(2) **1 जनवरी, 2019 से अक्टूबर, 2024 तक** निष्पादित एमओयू में 208 एमओयू वर्तमान में प्रभावशील हैं, जिसमें रूपये 1,22,778.39 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 1,27,056 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है। इसमें कोर सेक्टर के साथ ही साथ एथेनॉल, फूड सेक्टर, फार्मास्युटिकल, इलेक्ट्रानिक्स, डिफेंस, सोलर आदि परियोजनाएं सम्मिलित है। इनमें से 49 परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है तथा 24 परियोजनाएं निर्माणाधीन है। इनएमओयू परियोजनाओं में अभी तक रूपये 17509.61 करोड़ का पूंजी निवेश हो चुका है।

(3) राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 16वीं बैठक दिनांक 28.10.2024 में निवेशकों के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू निष्पादन करने के स्थान पर **''इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट''** जारी करने का निर्णय लिया गया है, जिसके परिपालन में अब तक 28 इकाइयों को **''इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट''** जारी किया गया है, जिसमें रूपये 45468.82 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है।

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत एक ही निगम ''छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड'' गठित है। इस निगम की अधिकृत पूंजी रूपये 10 करोड़ एवं प्रदत्त पूंजी रूपये 1.60 करोड़ है।

भारत शासन द्वारा वर्ष 2000 में किये गये राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत स्थापित निगमों यथा–(1) मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर (2) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (3) मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम (4) मध्यप्रदेश वित्त निगम (5) म.प्र.निर्यात निगम (6) म.प्र. औद्योगिक विकास निगम (7) मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन (8) मध्यप्रदेश टेक्सटाईल कार्पोरेशन को इसमें समाहित किया गया है।

राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निगम के द्वारा विभिन्न गतिविधियां निष्पादित की जाती हैं – यथा औद्योगिक संवर्धन, प्रचार–प्रसार, अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना, लघु उद्योगों के विपणन में सहायक की भूमिका, कच्चामाल आपूर्ति, शासकीय उद्योगों का संचालन, राज्य की राजधानी में राज्योत्सव का आयोजनएवं नई दिल्ली के भारतअन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य के मंडप का निर्माण एवं संचालन एवं शासन द्वारा समय समय पर निर्देशित अनुसार अन्य कार्य।

निगम द्वारा किये जाने वाले कार्यों, उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

(1) स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्र/औद्योगिक क्षेत्र/पार्कों का विवरण

(1.1) निगम के नियंत्रणाधीन स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्र/औद्योगिक क्षेत्र/पार्कों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	आबंटन योग्य भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	395.563	251.483
2	औद्योगिक विकास केन्द्र सिलतरा, रायपुर	1184.40	872.812
3	औद्योगिक विकास केन्द्र सिरगिट्टी, बिलासपुर	338.42	228.024
4	औद्योगिक विकास केन्द्र बोरई, दुर्ग	450.810	192.462
5	औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी, बिलासपुर	244.86	155.74
6	औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी, रायपुर	164.300	103.48
7	इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज भिलाई	141.613	59.15
8	औद्योगिक क्षेत्र मेटलपार्क, रायपुर	101.790	35.82

9	महरूम कला, राजनांदगांव	66.858	—
10	औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर	55.84	39.48
11	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र(आईआईडीसी) बिरकोनी, महासमुंद	96.42	41.82
12	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र(आईआईडीसी) नयनपुर–गिरवरगंज,	51.237	24.061
13	फूडपार्क बगौद, धमतरी	68.74	23.45
14	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र(आईआईडीसी) लखनपुरी, कांकेर	53.30	25.86
15	औद्योगिक क्षेत्र रावांभाठा, रायपुर	37.18	30.95
16	औद्योगिक क्षेत्र आमासिवनी, रायपुर	11.83	10.04
17	अंजनी, पेण्ड्रारोड	19.42	10.89
18	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र(आईआईडीसी) हरिनछपरा, कबीरधाम	20.93	11.09
19	औद्योगिक क्षेत्र तेन्दुआ, रायपुर	20.991	7.27
20	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र(आईआईडीसी) टेकनार, दन्तेवाड़ा	19.27	9.016
21	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र(आईआईडीसी) कॉपन, जांजगीर चांपा	43.06	15.325
22	औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी तिल्दा, रायपुर	32.32	15.29
23	औद्योगिक क्षेत्र गंगापुर खुर्द, सरगुजा	12.25	4.73
24	इलेक्ट्रानिक मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर,नवा रायपुर	45.75	22.83
25	औद्योगिक क्षेत्र अवरेठी, भाटापारा	8.615	5.479
26	औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी (ब्लॉक–ए, बी एवं सी), बिलासपुर	24.96	17.91
27	औद्योगिक क्षेत्र बरबसपुर, सुरजपुर	11.00	5.747
28	औद्योगिक क्षेत्र रिखी, सरगुजा	8.064	3.404
29	औद्योगिक क्षेत्र नारायणबहली, जशपुर	4.741	2.127
30	औद्योगिक क्षेत्र हथकेरा बिदबिदा, मुंगेली	11.478	3.935

31	औद्योगिक क्षेत्र खपरीखुर्द, रायपुर	8.115	3.8072
32	औद्योगिक क्षेत्र केसदा, बलौदाबाजार–भाटापारा	28.54	14.45
33	औद्योगिक क्षेत्र पांगरीखुर्द, राजनांदगांव	19.60	11.83
34	औद्योगिक क्षेत्र महरूम खुर्द, राजनांदगांव	37.12	12.74

(1.2) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी) :–

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए क्लस्टर विकास दृष्टिकोण अपनाने हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी) की योजना अक्टूबर 2019 से शुरू की गई। यह योजना राज्य में विशेष रूप से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र, सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) के विकास के लिए तैयार की गई है।

नए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी) दिशा निर्देशों (24.05.2022) के अनुसार मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र के उन्नयन पर भी विचार किया गया है। आईडी परियोजना (अधोसंरचना विकास केन्द्र) के विकास/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स के लिए मानक परियोजना लागत को 10 करोड़ रू. से संशोधित कर 15.00 करोड़ रू. (केन्द्रीय अनुदान 60% अधिकतम सीमा 09 करोड़ रू.) कर दिया गया है। परियोजना लागत का शेष 40% राज्य सरकार/राज्य कार्यान्वियन एंजेसी द्वारा दिया जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य में सीएसआईडीसी इस योजना के लिए क्रियान्वयन एजेसी है। मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र के उन्नयन के लिए मानक परियोजना लागत 10 करोड़ रू. (केन्द्रीय अनुदान 50% है) आकांक्षी जिलों के लिए भारत सरकार का अनुदान 10% अधिक है।

एमएसई–सीडीपी योजना के तहत 09 औद्योगिक क्षेत्र लखनपुरी, कापन, खम्हरिया, परसगढ़ी, सियारपाली, बिरकोनी, हरिनछपरा, गिरवरगंज एवं तिफरा (सेक्टर–डी) की परियोजनाएं पूर्ण हो चूकी है।

भारत सरकार के सहयोग से निम्न नये औद्योगिक क्षेत्र की आबंटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	औद्योगिक केन्द्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (एकड़ में)	परियोजना लागत (रु.करोड़ में)	केन्द्रीय अनुदान (रु.करोड़ में)	राज्य शासन का अंश (रु.करोड़ में)
1.	सियारपाली/महुआपाली	रायगढ़	39	16.24	6.00	10.24

प्रस्तावित नवीन औद्योगिक क्षेत्र :–

क्रं.	प्रस्तावित औद्योगिक केन्द्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (एकड़ में)	परियोजना लागत (रु.करोड़ में)
1	ग्राम परसिया	मुंगेली	192.02	37.24
2	ग्राम सेलर	बिलासपुर	95.02	28.48
3	अभनपुर	रायपुर	39.88	11.61
4	जी—जामगांव	धमतरी	24.71	7.67

(1.3) स्थापित विशिष्ट औद्योगिक पार्क

(1.3.1) मेटल पार्क— जिला रायपुर :—

विशिष्ट उद्योगों पर आधारित औद्योगिक पार्को की स्थापना के अंतर्गत रायपुर में रावांभाटा में फेरस तथा नान फेरस डाऊनस्ट्रीम अप्रदूषणकारी सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने की दृष्टि से रायपुर शहर से 12 कि.मी. की दूरी पर ग्राम रावांभाटा में मेटल पार्कविकसित किया गया है।

(1.3.2) इंजीनियरिंग पार्क— जिला दुर्ग :—

विशिष्ट उत्पाद आधारित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के अंतर्गत इंजीनियरिंग उत्पाद संबंधी समूह उद्योगों के विकास हेतु भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज, भिलाई से लगे हुए ग्रामहथखोज में कुल 122.618 हेक्टेयर भूमि पर निगम द्वारा इंजीनियरिंग उत्पादों के क्लस्टर विकास हेतु इंजीनियरिंग पार्क विकसित किया गया है।

(1.3.3) इलेक्ट्रानिक मेन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर — जिला रायपुरः—

नया रायपुर में 48.56 हे. भूमि पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रानिक मेन्यूफेक्चिरिंग क्लस्टर की स्थापना प्रारंभ किया जाकर उद्योग स्थापना हेतु अब तक 10 इकाईयों को भूमि आबंटन किया गया है तथा 20 इकाईयों को भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आबंटित इकाईयों में से 06 इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है ।

(1.3.4) फूड पार्क— जिला धमतरी :—

ग्राम बगौद जिला—धमतरी में कुल 68.68 हेक्टेयर भूमि पर फूड पार्ककी स्थापना की गई है । अनुमानित परियोजना लागत रू. 45.00 करोड़ है। अधोसंरचना निर्माण कार्य प्रगति पर है। 40 इकाईयों को भूमि का आबंटन किया चुका है। आबंटित इकाईयों में से 06 इकाईयों के द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है तथा 08 इकाईयां निर्माणाधीन हैं।

(2)स्थापनाधीन/प्रस्तावित विशिष्ट औद्योगिक पार्कः—

(2.1) नवीन फूड पार्कः—राज्य शासन द्वारा नवीन फूडपार्क स्थापना का कार्य किया जा रहा है। इस योजनांतर्गत 09 फूड पार्कों में अधोसरंचना विकास कार्य पूर्ण हो गया है तथा 04 फूड पार्कों में अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर है।

(2.2) <u>जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्कः</u>—

रायपुर में 10 एकड़ भूमि पर पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप आधार पर जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क प्रस्तावित है, जिसकी प्रारंभिक परियोजना लागत रु. 350 करोड़ है। परियोजना की क्रियान्वयन हेतु परियोजना सलाहकार की नियुक्ति की जा चुकी है तथा Architectural Consultant की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2.3) <u>प्लास्टिक पार्कः</u>—

भारत सरकार प्लास्टिक पार्क योजना अंतर्गत ग्राम सरोरा, जिला—रायपुर में 46 एकड़ भूमि पर प्लास्टिक पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। इस पार्क की प्रारंभिक परियोजना लागत रू. 44.00 करोड़ है तथा इस हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है व प्लास्टिक पार्क का अभिन्यास ग्राम तथा नगर निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। अधोसंरचना निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(2.4) <u>फार्मास्युटिकल पार्कः</u>—

शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्‌देश्य से प्रदेश में फार्मास्युटिकल पार्क की स्थापना हेतु की गई घोषणा के परिप्रेक्ष्य में मेडिकल डिवाईस पार्क हेतु निगम द्वारा नवा रायपुर, अटल नगर के सेक्टर—22 में वर्तमान में कुल 141.84 एकड़ (संशोधित भूमि रकबा) भूमि पर फार्मास्युटिकल पार्क की स्थापना प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित फार्मास्युटिकल पार्कमें अधोसंरचना विकास के कार्यो के साथ—साथ Amenities के रूप में विशेष सुविधाये उपलब्ध कराया जाना भी प्रस्तावित है।

(2.5) <u>स्मार्ट इण्डस्ट्रियल पार्कः</u>—

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत जिला जांजगीर—चाम्पा के ग्राम गतवा, बिर्रा एवं सिलादेही में कुल 356.741 हेक्टेयर (881.60 एकड़) भूमि में तथा जिला राजनांदगांव के ग्राम बिजेतला में कुल 170.738 (421.89 एकड़) भूमि में राज्य के औद्योगिकीकरण की आवश्कता को देखते हुये उक्त क्षेत्र में एक सर्वसुविधायुक्त Multi Sector "Smart Industrial Park" (SIP) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त "Smart Industrial Park" (SIP) में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के साथ—साथ मध्यम/वृहद् उद्योगों के लिए लगभग 25 से 50 एकड़ के भूखण्डों का प्रावधान रखा जाना प्रस्तावित है।

(3) <u>परीक्षण प्रयोगशाला—भिलाई</u> :—

सीएसआईडीसी के अधीन परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 3500 लघु उद्योग इकाईयों को उनके उत्पाद परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रयोगशाला हेतु एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त की गई है एवं अब इसके परीक्षण राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हैं।

(4) <u>लघु उद्योगों को विपणन सुविधा</u> :—राज्य के लघु उद्योगों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य में लागू ''छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002'' में संशोधन किये गये है। जिसके फलस्वरूप समस्त शासकीय विभागों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रम, मंडल, जिला पंचायत एवं नगरीय निकाय भी भण्डार क्रय नियमों की परिधि में रहेंगे।

भण्डार क्रय नियम 4.9 प्रावधान के अधीन राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का पंजीयन होना चाहिए तथा उस पंजीयन प्रमाण पत्र में, जिस सामग्री के लिए निविदा की गई है उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ताकि कर अपवचन का मामला नही बनें। इसी प्रकार निविदाकर्ता की ओर से निविदा में भाग लेने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का राज्य के जीएसटी विभाग में पंजीयन होना अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 के अनुसार जेम (GeM: Government eMarketplace) के माध्यम से शासकीय खरीदी :–

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से जारी अधिसूचना दिनांक 11.07. 2024 के अनुसार भण्डार क्रय नियम–3 के उपनियम–3.1.1''राज्य शासन के समस्त विभाग/क्रेता कार्यालय/अधिनस्थ संस्थाएं अपनी आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुयें एवं सेवाएं जिनकी दरें एवं विषिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट (GeM – Government e–Marketplace)में उपलब्ध हों, का क्रय जेम वेबसाईट से उनकी नियमावली, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये क्रय करेंगें, किन्तु ऐसे क्रय के लिये विभाग/क्रेता कार्यालय/ अधिनस्थ संस्थाएं जेम वेबसाईट में संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेसिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण, विक्रेता की साख एवं एल–1 मूल्य, आदि का निर्धारण स्वयं करेगा। विभाग/क्रेता कार्यालय/अधीनस्थ संस्थाएं की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वह शासकीय कोष की मितव्ययता एवं क्रय की जा रही सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। यदि राज्य शासन का कोई विभाग/क्रेता कार्यालय/अधीनस्थ संस्थाएं इस प्रावधान से परे, इस नियमावली के नियम–4 में वर्णित प्रावधान के अनुरुप निविदा प्रणाली के माध्यम से सामग्री, वस्तुयें एवं सेवाएं का क्रय करना चाहे तो वे निविदा के माध्यम से सामग्री, वस्तुयें एवं सेवाएं क्रय कर सकेंगें किंतु ऐसा करने के पूर्व उन्हें संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग से लिखित सहमति प्राप्त करनी होगी'' का प्रावधान किया गया है।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना के अनुक्रम में भारत सरकार की संस्था जेमएवंराज्य शासन के मध्य निष्पादित एम.ओ.यू. के अंतर्गत राज्य शासन के विभागों द्वारा सामग्री का क्रय जेम (GeM) के माध्यम से किया जा रहा है। जेम पोर्टल के संस्करण 2.0 एवं 3.0 से शासकीय खरीदी की अद्यतन प्रगति निम्नानुसार है :–

(20.01.2025 की स्थिति में)

जेम पोर्टल में पंजीयन		
1	प्रायमरी यूजर (शासकीय विभाग/उपक्रम की संख्या	9021
2	सेकेण्डरी यूजर (शासकीय विभाग/उपक्रम की संख्या)	4396
3	विक्रेताओं (एम.एस.एम.ई. एवं सामान्य इकाईयों की संख्या	13969

जेम पोर्टल में प्रशिक्षण		
1	क्रयकर्ता विभाग के अधिकारी/कर्मचारी की संख्या	5961
2	विक्रेता/प्रतिनिधि (एमएसएमई) एवं सामान्य इकाईयॉ) की संख्या	719

विभागों द्वारा क्रय की जानकारी		
1	क्रय किये गये विभागों की संख्या	838
2	विभागों/उपक्रमों द्वारा कुल क्रय की गई राशि	3519.06 करोड
3	राज्य की श्रेणी	13 वीं रैंक

जेम पोर्टलमें शासकीय सामग्री की प्रक्रिया के लिए सीएसआईडीसी में संचालित जेम सेल के अधिकारियों द्वारा आवश्यकता के अनुसार राज्य शासन के विभागों में जेम कार्यशाला का आयोजन कर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार जेम क्रय प्रक्रिया में क्रेता विभागों से प्राप्त पृच्छाओं/कठिनाईयों का समय–समय पर निराकरण किया जाता है।

(5)कौशल उन्नयन गतिविधियां:–

(5.1) अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिज़ाईन सेंटरः–

रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव में अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिज़ाईन सेंटर स्थापित किये गये हैं। इससे राज्य के युवाओं को अपेरल क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं रोजगार प्राप्त हो रहा है।

(5.2) बस्तर संभाग में युवाओं हेतु कौशल विकास/प्रशिक्षण :–

बस्तर संभाग के जिला सुकमा में अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिज़ाईन सेंटर स्थापित है।इस प्रशिक्षण केन्द्र में 240 युवाओं को प्रशिक्षण की सुविधा।प्रशिक्षण केन्द्र में वस्त्र उद्योग से संबंधित विभिन्न ट्रेड जैसे अपेरल मैन्युफेक्चरिंग टेक्नालाजी, प्रोडक्शन सुपरविज़न, अपेरल पैटर्न मेकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, कटिंग, टेलरिंग, सिलाई मशीन आपरेटर आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(5.3) एम.एस.एम.ई. टेक्नोलॉजी सेंटर, बोरई–दुर्ग:–

भारत सरकार, एम.एस.एम.ई. मंत्रालय द्वारा ''टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम'' के अंतर्गत बोरई, जिला–दुर्ग में टूल रुम की स्थापना की गई। इस संस्थान में एम. एस.एम.ई. उद्योगों को परीक्षण सुविधा एवं युवाओं को कौशल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है।

(5.4) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी (सीपेट):–

प्लास्टिक उद्योग में युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु सीपेट (सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी) की स्थापित किया गया है। यहां दीर्घकालीन एवं डिप्लोमा तथा पीजी डिप्लोमा कोर्स संचालित है।

(6)<u>प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यमउन्नयन योजना **(PMFME)**</u>:—

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020—21 में योजना का प्रारंभ किया गया है। जिसे मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है। वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए बजट राशि रू. 47.19 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राशि राज्यांश का है। इस वित्तीय वर्ष में रू. 5.00 करोड़ केन्द्रांश तथा रू. 3.33 करोड़ राज्यांश कुल राशि रू. 8.33 करोड़ प्राप्त हो चुका है।

योजना में SRLM के SHGs के 10,091 सदस्यों को राशि रू. 11.16 करोड़ एवं SULM के SHGs के 1194 सदस्यों को राशि रू. 3.29 करोड़ सीड कैपिटल हेतु वितरित किया गया है।

(7) <u>निगम की वर्ष 2023—24 में व्यावसायिक गतिविधियां</u>:—

(7.1) <u>लघु उद्योगों को परीक्षण जांच की सुविधा</u> :—

टैस्टिंग लैब भिलाई में केमिकल, मेटलर्जीकल सेम्पल परीक्षित — 5060

सिविल व इलेक्ट्रिक सेम्पलों का परीक्षणआय —21,87,720.00रू

(7.2) <u>फर्नीचर व शीट मेटल उद्योगों का संचालन</u> :—

अ—फर्नीचर वर्क्स, अभनपुर

उत्पादन	रू. 67.71 लाख
विक्रय	रू. 75.23 लाख

ब—कृषि उपकरण कारखाना, भिलाई

उत्पादन	रू. 502.56 लाख
विक्रय	रु. 506.67 लाख

(7.3) <u>ऑनलाईन भुगतान सुविधा</u>:—

सीएसआईडीसी द्वारा भू—आबंटी इकाईयों से भू—आबंटन से संबंधित राशियों (प्रीमियम, लीज़रेंट, मेंटनेंस आदि) की वसूली हेतु ऑनलाईन सुविधा सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है।

(7.4) <u>भू—आबंटन पत्रों को ऑनलाईन प्राप्त करना</u>:—

छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के परिपालन में उद्यमी को मांगपत्र, आशयपत्र, आबंटन आदेश, भू—प्रब्याजि में छूट, आशय पत्र में समयावधि विस्तार, संशोधन मांगपत्र आदि की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन की जा रही है।

(7.5) जल–आपूर्ति संयोजन हेतु ऑनलाईन आवदेन पत्र सुविधाः–

इकाईयों को जल–आपूर्ति के लिये ऑनलाईन आबंटन सुविधा प्रारंभ की गई है ।

(7.6) औद्योगिक क्षेत्रों का जी.आई.एस. मैपः–

राज्य में औद्योगिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक क्षेत्रों का जी.आई.एस. मैप तैयार कराया जाकर ऑनलाईन किया गया है। साथ ही लैण्ड बैंक की उपलब्ध भूमि का भी जी.आई.एस. मैप अद्यतन कराया जा रहा है ।

(8) अन्य अधोसंरचना :–

- सिलतरा शापिंग कॉम्पलेक्स, रायपुर

राज्य के रायपुर जिले के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में शापिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। इस भवन में भूतल तथा प्रथम तल पर कुल 121 कक्ष (व्यवसायिक दुकान–108 / कार्यालय–12 / रेस्टॉरेंट–1) निर्मित है जिसमें 78 आबंटित है एवं 43 रिक्त हैं। रिक्त दुकानों के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- व्यवसायिक परिसर तिफरा, बिलासपुर

राज्य के बिलासपुर जिले में तिफरा व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया गया है। इस भवन के भूतल एवं प्रथम तल में कुल 16 कक्ष (दुकान–11 / कार्यालय–4 / बैंक एटीएम–1) निर्मित किये गये तथा आबंटन किया गया है।

- व्यवसायिक परिसर बिरकोनी महासमुंद

राज्य के महासमुंद जिले में एकीकृत औद्योगिक विकास केन्द्र के अंतर्गत 10 दुकानों का निर्माण किया गया है जिसमें 3 आंबटित है और 7 दुकान रिक्त है। रिक्त दुकानों के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- वाणिज्यिक परिसर डंगनिया, रायपुर

राज्य के रायपुर शहर में निगम के आधिपत्य की भूमि पर पांच तल का वाणिज्यिक भवन का निर्माण किया गया है। जिसमें सी.एस.आर. के अंतर्गत एटीडीसी को निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराया गया है। साथ ही रेल कारीडोर परियोजना हेतु गठित छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल लिमि. एवं छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन लिमि. को स्थान किराये पर उपलब्ध कराया गया है। भूतल में 2 दुकान एवं 1 ऑफिस कार्यालय रिक्त है। रिक्त दुकानों / कार्यालय के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- उद्योग भवन, रायपुर

राज्य के रायपुर जिले में जी+3 तल का वाणिज्यिक भवन का निर्माण किया गया है, जिसके भूतल पर उद्योग संचालनालय एवं प्रथम तल पर सीएसआईडीसी मुख्यालय स्थापित है। परिसर के द्वितीय तल पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल तृतीय

तल पर एमएसटीसी लि., ई.सी.जी.सी. लि., फिक्की, पीचडी चैम्बर ऑफ कामर्स के कार्यालय हेतु मासिक किराये पर आबंटित है। इसके अतिरिक्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द, वाष्प निरीक्षण (बॉयलर) एवं सीएसआईडीसी तकनीकी कक्ष रायपुर को कार्यालय हेतु भी आबंटित किया गया है।

- **सीएसआईडीसी कार्पोरेट टॉवर, रायपुर**
  राज्य के रायपुर जिले में जी+5 तल का कार्पोरेट भवन का निर्माण किया गया है, जिसके भूतल पर दुकान क्र. 5 से 8 कुल 4 दुकाने छत्तीसगढ़ मार्केटिंग कार्पोरशन को मासिक किराये पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त ईएसआईसी को (द्वितीय एवं तृतीय तल) एवं सीबीएसई को (चतुर्थ एवं पंचम तल) किराया/लीज पर देने हेतु आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **प्रशासनिक भवन, डीडीयू नगर, रायपुर**
  राज्य के रायपुर जिले में दीनदयाल उपाध्याय नगर में जी+5 तल का प्रशासनिक भवन को किराया/लीज पर देने आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **व्यवसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा, कबीरधाम**
  राज्य के कबीरधाम जिले में हरिनछपरा औद्योगिक क्षेत्र में व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया गया जिसमें भूतल पर 6 दुकाने एवं प्रथम तल पर 1 प्रशासकीय भवन कुल 7 भवनों के आबंटन/किराये पर देने आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **व्यवसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, बिलासपुर**
  राज्य के बिलासपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी में दो गोडाउन निर्माण किया गया है जिसे किराये पर दिया गया है।

- **मेटल पार्क, रायपुर**
  राज्य के रावाभांटा औद्योगिक क्षेत्र स्थित मेटल पार्क में पेट्रोल पंप स्थापित करने हेतु आरक्षित भूमि 33767 वर्गफीट के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर**
  राज्य के औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर में वेयर हाऊस हेतु आरक्षित 8000 वर्गफीट भूमि के आबंटन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर**
  राज्य के औद्योगिक क्षेत्र उरला व्यावसायिक परिसर रायपुर में दो दुकान, सीएफसी बिल्डिंग, फिल्ड हॉस्टल के आबंटन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **इंजीनियरिंग पार्क/औद्योगिक क्षेत्र हथखोज, भिलाई**
  राज्य के औद्योगिक क्षेत्र हथखोज, भिलाई में वेब्रिज हेतु दो भूमि एवं रेस्टॉरेंट/फूड जोन हेतु भूमियों के आबंटन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **औद्योगिक क्षेत्र कापन, जांजगीर चांपा**

राज्य के औद्योगिक क्षेत्र कापन, जांजगीर–चांपा में बैंक परिसर हेतु हॉल के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **डीटीआईसी बिल्डिंग, दुर्ग**

  राज्य के दुर्ग जिले में जी + 2 तल का प्रशासनिक भवन को किराया/लीज पर देने आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी, तिल्दा**

  राज्य के औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी, तिल्दा में उपलब्ध छः दुकान के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

(10) <u>डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, नवा रायपुर</u>:–

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उपरांत से एक दशक की अवधि में व्यापार एवं उद्योग की दिशा में तीव्र गति से हुए विकास एवं राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश तथा आयात–निर्यात की अपार संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, प्रदर्शनी, कान्फ्रेन्स, सेमीनार इत्यादि के लियेएक सर्व सुविधायुक्त ट्रेड सेंटर जिसमें आयात–निर्यात से संबंधित गतिविधियों के लिये एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन सेंटर का प्रावधान भी हो, के निर्माण की आवश्यकता को दृष्टिगत् रखते हुए राज्य शासन द्वारा नई राजधानी क्षेत्र के ग्राम तूता में छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर की स्थापना की जा रही है। उक्त परियोजना का निर्माण कार्य नोडल एजेन्सी छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा नया रायपुर में नया रायपुर डेव्हलपमेंट एजेंसी से पट्टे पर प्राप्त कुल 100 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। कुल पुनरीक्षित परियोजना लागतरू. 192.14 करोड़ है।

वर्तमान में उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत कुछ आंतरिक सड़कों के साथ–साथ प्रदर्शनी परिसर, कल्चरल प्रोग्राम ग्राऊण्ड, पाथवेज एवं बाऊण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 700 सीटर आडिटोरियम सहित Export Facilitation cum Convention Centreतथा Cultural Programme Stage का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

(11) <u>अन्य मुख्य कार्यकलाप</u>:–

(11.1) विभाग के उपक्रम सी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक विकास हेतु देश–विदेश के औद्योगिक समूहों/उद्योगपतियों की राज्य में औद्योगिक निवेश हेतु रूचि जागृत करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से तैयार की गई वेबसाइट को और अधिक व्यवस्थित किया गया है । इसमें राज्य के वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य प्राकृतिक संसाधनों, सामाजिक अधोसंरचना, नीतियां तथा स्थापित विकास केन्द्रों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस वेबसाइट का पताwww.csidc.in है।

(11.2) आईआईटीएफ का आयोजन दिनांक 14 से 27 नवंबर 2024 को भारत मण्डपम में इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाईसेशन (आईटीपीओ) द्वारा किया गया। इस वर्ष

आईआईटीएफ की थीम Viksit Bharat @2047 थी। उपरोक्त कार्यक्रम में राज्य द्वारा भाग लिया जाकर आईटीपीओ द्वारा आबंटित 500 वर्गमीटर में पवेलियन का निर्माण किया गया।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (रेल परियोजनाएं प्रकोष्ठ)

राज्य में रेल्वे लाइनों का विकास

राज्य के गठन के पूर्व राज्य में लगभग 1186 कि.मी. का रेल्वे नेटवर्क था। राज्य में रेल अद्योसंरचनाओं का विकास करने के लिये राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम कंपनियां बनाई, जिसके माध्यम से रेल लाइनों का विकास किया जा रहा है।

वर्तमान में राज्य में निम्नांकित रेल्वे कारीडोर एवं रेल लाईन की स्थापना का कार्य प्रगति पर है–

(1) ईस्ट रेल कारीडोर

ईस्ट रेल कारीडोर की स्थापना हेतु दिनांक 03.11.2012 को एम.ओ.यू. का निष्पादन एवं दिनांक 12.03.2013 को छत्तीसगढ़ शासन, एस.ई.सी.एल. व इरकॉन के इक्विटी पार्टनरशीप से ज्वाईंट वेंचर कंपनी का गठन किया गया है। दिनांक 18.01.2014 को परियोजना के क्रियान्वयन का अनुबंध इरकॉन कंपनी के साथ किया गया है। यह परियोजना दो चरणों में क्रियान्वित की जा रही हैं। ईस्ट रेल कारीडोर (Phase-1) खरसिया से धरमजयगढ़ के मध्य तथा ईस्ट रेल कारीडोर (Phase-1) धरमजयगढ़ से कोरबा के मध्य बनाया जा रहा है।

ईस्ट रेल कारीडोर (Phase-1) का खरसिया–धरमजयगढ़–घरघोड़ा–डोंगा महूआ (131 कि.मी.) है व इस कारीडोर में 08 स्टेशन (गुरदा, छाल, घरघोड़ा, कोरीछापर, कुरूनकेला, धरमजयगढ़ रोड, डोलेसरा एवं पेलमा) है। इसकी परियोजना लागत रू. 3054.24 करोड़ है। वर्तमान में निरंतर मालगाड़ी का परिचालन इस रेल लाईन के द्वारा किया जा रहा है। इस चरण में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का कार्य लगभग 98 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

ईस्ट रेल कारीडोर (Phase-2) धरमजयगढ़ से उरगा के मध्य 65 कि.मी. लंबाई में रू. 1686 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। परियोजना की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण हा गई है। इसके मार्च, 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(2) ईस्ट–वेस्ट रेल कारीडोर

ईस्ट–वेस्ट रेल कारीडोर की स्थापना हेतु दिनांक 03.11.2012 को एम.ओ.यू. का निष्पादन एवं दिनांक 25.03.2013 को छत्तीसगढ़ शासन, एस.ई.सी.एल. व इरकॉन के इक्विटी पार्टनरशीप से ज्वाईंट वेंचर कंपनी का गठन किया गया है। दिनांक 05.04.2014 को परियोजना के क्रियान्वयन का अनुबंध इरकॉन के साथ किया गया है। इसकी परियोजना लागत रू. 4970 करोड़ है।

परियोजना की स्थापना हेतु भू–अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण हो गई है। 155.36 कि.मी. में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

ईस्ट–वेस्ट रेल कारीडोर का क्षेत्र गेवरा–पेण्ड्रारोड–उरगा–कुसमुंडा (155.36 कि.मी) है व इस कारीडोर में 09 स्टेशन (सुराकछार, कटघोरा, बिंझरा, पुटुवा, मटिनि, सेन्डुगढ़, पुटी

पखना, भाड़ी, धनगवां) स्थापित होगी। परियोजना की भौतिक प्रगति 55.55 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 50.45 प्रतिशत है।

उक्त दोनों कारीडोर के बन जाने से सुदुर आदिवासी अंचलों में यात्री परिवहन में आसानी के साथ–साथ माल परिवहन भी प्रारंभ करना संभव होगा।

(3) दल्ली राजहरा–रावघाट रेल लाईन परियोजनाः–

इस परियोजना में रेल्वे लाईन की लंबाई 95 कि.मी. है। इसमें से दल्ली राजहरा एवं तोड़ोकी के मध्य 77.5 किमी रेल लाईन का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा ट्रेन परिचालन भी आरंभ कर दिया गया है।

इस रेल लाईन परियोजना की अनुमानित निर्माण लागत रू. 1627.56 करोड़ है। इस रेल लाईन के शेष हिस्से में निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है।

(4) रावघाट–जगदलपुर परियोजनाः–

इसकी परियोजना लागत रू. 2538.60 करोड़ है व परियोजना में एन.एम.डी.सी., स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि., इरकॉन एवं छत्तीसगढ़ शासन की भागीदारी है। परियोजना की स्थापना हेतु स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) कंपनी–बस्तर रेल्वे प्रा.लि. गठित की गई है।

रावघाट–जगदलपुर परियोजना की लंबाई 140 कि.मी. है। परियोजना की स्थापना हेतु ट्रेक एलाईनमेंट, लोकेशन सर्वे व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रेल्वे लाईन हेतु भूमि अधिग्रहण अंतिम चरण में है। डी.पी.आर. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। बस्तर रेल्वे प्रा.लि. (बी.आर.पी.एल.) बोर्ड द्वारा उक्त रेल परियोजना को रेल्वे के माध्यम से क्रियान्वयन करने हेतु रेल मंत्रालय को दिनांक 13.09.2022 को पत्र प्रेषित किया गया है। रेल्वे (MoR) द्वारा तदाशय की सैद्धांतिक सहमति भी प्रदान की गई है।

(5) चिरमिरी–नागपुर रोड हाल्ट रेल लिंक परियोजनाः–

इसकी परियोजना लागत रू. 241 करोड़ है व परियोजना में भारतीय रेल्वे एवं छत्तीसगढ़ शासन की 50:50 की भागीदारी है। परियोजना का क्रियान्वयन दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे द्वारा किया जाना है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राज्यांश के संबंध में पुष्टि उपरांत इस लाईन के निर्माण हेतु दक्षिण मध्य पूर्व रेल्वे द्वारा सर्वे की कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण होना अपेक्षित है।

चिरमिरी–नागपुर रोड हाल्ट रेल लिंक परियोजना की लंबाई 17 कि.मी. है। इस रेल लिंक की स्थापना से मनेन्द्रगढ़ के निवासियों को रेल आवागमन हेतु अतिरिक्त मार्ग प्राप्त होगा, जिससे मुख्य मार्ग की यात्री ट्रेनों की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

(6) छत्तीसगढ. रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा चिन्हांकित रेल परियोजनाः–

राज्य में रेल्वे नेटवक्र के विकास हेतु दिनांक 09 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ शासन व भारत सरकार, रेल मंत्रालय के मध्य एक एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है। एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ शासन व रेल मंत्रालय की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी ''छत्तीसगढ़

रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेड'' भी गठित की गई है, जिसमें राज्य शासन तथा रेल मंत्रालय (भारत सरकार) की भागीदारी क्रमशः 51 प्रतिशत एवं 49 प्रतिशत है। एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन हेतु संयुक्त उपक्रम अनुबंध दिनांक 04.08.2016 को निष्पादित किया गया है।

संयुक्त उपक्रम कंपनी द्वारा प्रथम चरण में निम्नांकित चार रेल्वे परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चयन किया गया है, जो एस.पी.व्ही. के माध्यम से क्रियान्वित हो सकेगी। इसके अतिरिक्त संयुक्त उपक्रम कंपनी को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कटघोरा–डोंगरगढ़ एवं खरसिया–नवा रायपुर–परमलकसा रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 121.79 करोड़ राशि भी उपलब्ध कराई गई है।

1. कटघोरा–तखतपुर–मुंगेली–कवर्धा–खैरागढ़–डोंगरगढ़ (295 कि.मी.) रेल परियोजना हेतु डी.पी.आर. रेल मंत्रालय से अनुमोदित है। परियोजना की स्वीकृत लागत रू. 5950.47 करोड़ है। एसपीव्ही हेतु सी.आर.सी.एल., महाजेनको एवं ए.सी.बी.आई.ई.एल. के मध्य सहमति हुई एवं एसपीव्ही छत्तीसगढ़ कटघोरा–डोंगरगढ़ रेल्वे लिमिटेड का गठन किया गया। रेल मार्ग हेतु भू–अर्जन के लिये 195 ग्रामों का 20A एवं 179 ग्रामों का 20E में प्रकाशन एवं लोक सूचना पूर्ण हो चुकी थी, परन्तु अपरिहार्य कारणों एवं जन सामान्य की मांग के आधार पर परियोजना के एलाइनमेंट के एक भाग में संशोधन विचाराधीन होने के कारण भू–अर्जन प्रक्रिया व्यपगत हो गई।
   जन सामान्य के मांग के आधार पर परियोजना के अलाईनमेंट के एक भाग में संशोधन पर विचार फिजिबिलिटी स्टडी का कार्य पूर्ण एवं रिपोर्ट प्राप्त हुआ। उक्त रिपोर्ट के आधार पर एलाइनमेंट कनेक्टिविटी विकल्प– 1. (कटघोरा–रतनपुर–तखतपुर–मुंगेली–पंडरिया–पांडातराई–बोड़ला–कवर्धा–खैरागढ़–डोंगरगढ़) पर सहमति बनी।
2. खरसिया–बलौदाबाजार–नवा रायपुर–परमलकसा (325 कि.मी.) हेतु रेल मंत्रालय से सैद्धांतिक सहमति प्राप्त है। संभावित परियोजना लागत रू. 8258.03 करोड़ है। एसपीव्ही हेतु संभावित उपयोगकर्ताओं से विचार–विमर्श जारी है। परियोजना PPP मोड के तहत कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है।इस हेतु हितधारकों की पहचान का कार्य प्रगति पर है। डीपीआर अनुमोदन, हितधारकों की पहचान एवं परियोजना हेतु निवेश प्राप्त होने उपरांत भू–अर्जन प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी।
3. अंबिकापुर बरवाडीह रेल्वे कारीडोर (182 कि.मी.)। प्रारंभिक सर्वेक्षण पूर्ण। मात्र 100 कि.मी. लंबाई में एस.ई.सी.एल. के कोयलें की खदानें स्थित होने से एस.ई.सी.एल. ही एकमात्र हितधारक है।
4. कटघोरा से सूरजपुर के बीच परसा से मतीन तक – 65 कि.मी. सर्वेक्षण प्रारंभ।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग

1. **सार्वजनिक उपक्रम विभाग में प्रतिपादित नीतिगत विषय :–**

   1. नीति–क्रियान्वयन तथा सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली–इन दोनों से संबंधित सामान्य पथ–प्रदर्शन रेखाओं के व्यवस्थापन से सम्बद्ध विषय
   2. निगमों के सर्वोपरि प्रबंधकीय पदों पर नियुक्तियां
   3. निगमों की सामान्य समस्याएं
   4. प्रबंध पद्धतियों, प्रबंध प्रक्रियाओं, रिर्पोटिंग पद्धतियों का समन्वयन

2. **राज्य के सार्वजनिक उप्रक्रमों की सूची :–**

क्रमांक	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	कार्यरत होने की तिथि
1.	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	16 नवम्बर 1981
2.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, रायपुर	15 नवम्बर 2000
3.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, रायपुर	15 नवम्बर 2000
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, रायपुर	15 नवम्बर 2000
5	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी, रायपुर	15 नवम्बर 2000
6	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी, रायपुर	15 नवम्बर 2000
7	छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. रायपुर	26 फरवरी 2001
8	छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	13 मार्च 2001
9	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास लिमिटेड, रायपुर	01 मई 2001
10	छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	07 जून 2001
11	छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, रायपुर	02 मई 2002
12	छत्तीसगढ़ राज्य निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, रायपुर	19 जुलाई 2004
13	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि., रायपुर	27 जुलाई 2005
14	इफको पावर लिमिटेड रायपुर	25 जनवरी 2006
15	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड, रायपुर	11 अप्रेल 2008
16	सीएसपीजीसीएल एसईसीएल परसा कॉलरीज़ लिमिटेड	06 दिसंबर 2010
17	छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	07 दिसंबर 2010
18	छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	07 नवंबर 2011
19	छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	14 दिसंबर 2011
20	छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	11 नवंबर 2014
21	रायपुर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	16 सितंबर 2016
22	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, बिलासपुर	19 सितंबर 2016
23	छत्तीसगढ़ रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेड	07 दिसंबर 2016
24	छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	23 फरवरी 2017
25	नया रायपुर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	16 सितंबर 2017
26	छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	15 मार्च 2018

विभागीय बजट

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को उद्योग विभाग के अंतर्गत आयोजना मद में केवल उद्योग संचालनालय को बजट प्राप्त होता है। यह बजट मांग संख्या–11, मांग संख्या–41 तथा मांग संख्या–64 के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु प्राप्त होता है। आयोजना मद में वर्ष 2024–25 का योजनावार बजटीय प्रावधान एवं आबंटित राशि निम्नानुसार हैः–

क्र	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान 2024–25	31दिसम्बर 2024 तक आबंटित राशि
1	2	3	4	5
1	11–3800	लघु उद्योगों की इनामी योजना3800	10.00	10.00
2	11–6857	उद्योगोंकोब्याजअनुदान	3700.00	3686.79
3	41–6857	उद्योगोंकोब्याजअनुदान	1500.00	1500.00
4	64–6857	उद्योगोंको ब्याजअनुदान	500.00	500.00
		योग–	**5700.00**	**5686.79**
5	11–782	स्टार्टअपछत्तीसगढ़	300.00	146.67
6	11–1464	जिलाउद्योगकेन्द्र(2851)	3721.57	2591.18
7	11–1175	ग्रामीणउद्यमीविकासप्रशिक्षण योजना	15.00	10.10
8	11–3370	संचालनालयउद्योग(2852)	1990.06	1350.96
9	11–5452	निवेशप्रोत्साहनबोर्डकीस्थापना(SIPB)	81.00	80.00
10	11–7957	छत्तीसगढ़उद्यमिता विकाससंस्थान	330.10	0.00
11	11–4826	आई.एस.ओ. 9000केअन्तर्गतव्ययकीप्रतिपूर्ति4826	5.00	5.00
12	11–5447	तकनीकीपेटेंटअनुदान	1.00	0.00
13	11–5448	प्रौद्योगिकीप्रौन्नतिकोशकीस्थापना	0.10	0.00
14	11–5450	समूहआधारितउद्योगोंकाविकास(टेस्टिंगलैबमिलाई)	0.10	0.00
15	11–5451	अंशपूंजीसहायतायोजना	800.00	598.80
16	41–5451	अंशपूंजीसहायतायोजना	100.00	93.60
17	64–5451	अंशपूंजीसहायतायोजना	100.00	96.00
		योग–	**1000.00**	**788.40**

18	11—6475	छ.ग.औद्योगिक नीति केअंतर्गतप्रतिपूर्तिअनुदान	5000.00	0.00
19	11—711	औद्योगिक परियोजना तथासर्वेक्षणकीयोजना	5.00	5.00
20	11—7742	इनवायरमेंटमेनेजमेंटप्रोजेक्टअनुदान	0.10	0.00
21	11—7743	प्रौद्योगिकीक्रयअनुदान	10.00	0.00
22	11—7744	निःशक्तजनरोजगारअनुदान	0.10	0.00
23	11—8928	मुख्यमंत्री युवास्वरोजगारयोजना	200.00	24.21
24	41—8928	मुख्यमंत्री युवास्वरोजगारयोजना	125.00	16.53
25	64—8928	मुख्यमंत्री युवास्वरोजगारयोजना	36.00	25.45
		योग—	**361.00**	**66.19**
26	11—9068	औद्योगिक इकाईयोंकोलागतपूंजीअनुदान	11000.00	11000.00
27	41—9068	औद्योगिक इकाईयोंकोलागतपूंजीअनुदान	7000.00	7000.00
28	64—9068	औद्योगिक इकाईयोंकोलागतपूंजीअनुदान	2000.00	2000.00
		योग—	**20000.00**	**20000.00**
29	11—5385	नये औद्योगिक क्षेत्र कीस्थापना11—(2852)	700.00	700.00
30	11—5385	नये औद्योगिक क्षेत्र कीस्थापना11—(4851)	4100.00	4100.00
		योग—	**4800.00**	**4800.00**
31	41—5385	नयेऔद्योगिक क्षेत्र कीस्थापना41—(2852)	700.00	700.00
32	41—5385	नये औद्योगिक क्षेत्र कीस्थापना41—(4851)	500.00	500.00
		योग—	**1200.00**	**1200.00**
33	11—7784	निजीऔद्योगिकक्षेत्र / पार्को के लियेअधोसंरचनाअनुदान	1.00	0.00
34	11—7785	पूंजीगतनिवेशप्रोत्साहनसहायता	1.00	0.00
35	11—8890	खाद्यप्रसंस्करणसहायताअनुदान8890	1400.00	1400.00
36	11—6455	प्रधानमंत्रीसूक्ष्मखाद्यउद्योगउन्नयनयोजना6455	4718.62	4718.62
37	11—7396	मंडीशुल्ककीप्रतिपूर्तिअनुदान	0.10	0.00

38	11–8237	अन्तर्राष्ट्रीयव्यापारमेलेकेलिएअनुदान(IITF)	200.00	200.00
39	11–9283	प्रतियोगिताएं,संगोष्ठिया ,प्रदर्शनियांतथाप्रचार	1500.00	90.00
40	11–5586	निर्यातअधोसंरचनाविकासकेलिएसहायता	0.10	0.00
41	11–6377	फूडपार्क की स्थापना	5000.00	2300.00
42	11–6381	जेम्स एवं ज्वेलरी पार्ककीस्थापना6381	50.00	0.00
43	11–6742	औद्योगिकपार्कोकेलियेअनुदान6742	1091.50	1090.50
44	11–6888	छत्तीसगढ़व्यापारकेन्द्रकीस्थापना6888	1100.00	1100.00
45	11–7480	जिलाउद्योगकार्यालयभवनकीस्थापना	1.00	0.00
46	11–7909	औद्योगिककेन्द्रोंकाजीर्णोद्धार	100.00	100.00
47	11–8983	औद्योगिकक्षेत्रमेंअधोसंरचनाउन्नयन कार्य(26–006वृहदनिर्माण)8983	3500.00	3500.00
48	11–8983	34–वाहनोकाक्रय,001–प्रतिस्थापन	19.50	19.50
49	11–9219	भू–अर्जनतथाभूमिविकास क्षतिपूर्तिकाभुगतान	0.00	0.00
50	#15	डिक्रीधनकाभुगतान15	1.00	1.00
51	#31	क्षतिपूर्तिभुगतानअधिग्रहितभूमिमुआवजा31	500.00	500.00
52	11–9220	सर्वे तथाडिमार्केशन	2.00	2.00
53	11–7044	उद्यमक्रांतियोजना	100.00	0.00
54	11–7045	इण्डस्ट्रीयलकॉरीडोर	500.00	300.00
55	11–7067	इन्वेस्टछत्तीसगढ़	500.00	0.00
56	11–7085	एल्यूमीनियमपार्क	500.00	500.00
57	11–7151	छत्तीसगढ़परिवहनअनुदान	75.00	16.50
		योग–	**65390.95**	**52578.41**

पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं तथा वाष्पयंत्र निरीक्षकालय को मांग संख्या–11 के अंतर्गत आयोजनेत्तर मद में बजट प्राप्त होता है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को उद्योग संचालनालय को आबंटित मद में से कार्यालयीन व्यय का भुगतान किया जाता है।

वाणिज्य एवं उद्योग के अंतर्गत विभिन्न घटकों/निगम/बोर्ड की स्वीकृत पद संरचना

परिशिष्ट–एक

अ–उद्योग संचालनालय

क्रमांक	पदनाम	पद संख्या	टीप
1	उद्योग संचालक	01	अखिल भारतीय सेवा संवर्ग
2.	अपर संचालक	04	02 उद्योग संचालनालय 01 प्रतिनियुक्ति हेतु सीएसआईडीसी में 01 प्रतिनियुक्ति हेतु एसआईपीबी में
3	संयुक्त संचालक	08	02 उद्योग संचालनालय 05 सीएसआईडीसी 01 एसआईपीबी
4	संयुक्त संचालक (वित्त)	01	कोष एवं लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
5	उप संचालक	18	11 उद्योग संचालनालय 05 सीएसआईडीसी 02 एसआईपीबी
6	सहायक संचालक	27	12 उद्योग संचालनालय 10 सीएसआईडीसी 02 एसआईपीबी 01 जेल विभाग 02 ग्रामोद्योग
7	सहायक प्रबंधक	14	12 उद्योग संचालनालय 02 एसआईपीबी
8	लेखा अधिकारी सहायक लेखा अधिकारी	03	02 कोष एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति पर
9	शीघ्रलेखक वर्ग–1	03	–
10	शीघ्रलेखक वर्ग–2	06	05 उद्योग संचालनालय 01 प्रतिनियुक्ति पर एसआईपीबी
11	शीघ्रलेखक वर्ग–3	12	––
12	अधीक्षक	01	–
13	सहायक अधीक्षक	01	–
14	सहायक वर्ग–1	10	–
15	सहायक वग–2/लेखापाल	10	–
16	स्टेनाटायपिस्ट/सहायक वर्ग–3	24	–
17	जूनियर आडिटर	03	–
18	कम्प्यूटर आपरेटर	12	–
19	वाहन चालक (नैमितिक)	12	–
20	वाहन चालक	01	–
21	दफ्तरी	04	–

22	जमादार	02	—
23	भृत्य / चौकीदार	18	—
24	भृत्य (कलेक्टर दर पर)	09	—
25	चौकीदार (कलेक्टर दर पर)	02	—
26	प्रोसेस सर्वर (कलेक्टर दर पर)	03	01—एसआईपीबी के लिये
		209	

ब— मैदानी कार्यालय (जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र)

क्रमांक	पदनाम	पद संख्या
1	मुख्य महाप्रबंधक	06
2	महाप्रबंधक	37
3	प्रबंधक	80
4	सहायक प्रबंधक	136
5	शीघ्रलेखक वर्ग—1	04
6	शीघ्रलेखक वग—2	14
7	शीघ्रलेखक वर्ग—3	33
8	सहायक अधीक्षक	03
9	सहायक वर्ग—1	36
10	सहायक वर्ग—2 / लेखापाल	82
11	स्टेनाटायपिस्ट / सहायक वर्ग—3	92
12	कम्प्यूटर आपरेटर	27
13	वाहन चालक (नैमितिक)	24
14	जमादार	27
15	भृत्य / चौकीदार	78
16	चौकीदार (कलेक्टर दर पर)	18
		697

परिशिष्ट —दो

पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की स्वीकृत पद संरचना

अ— मुख्यालय

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1.	रजिस्ट्रार	1
2.	उप पंजीयक	1
3.	सहायक पंजीयक	2
4.	निरीक्षक	3
5.	सहायक अधीक्षक	1

6.	ऑडिटर	3
7.	स्टेनोग्राफर	1
8.	सहायक ग्रेड–2	2
9.	सहायक ग्रेड–3	3
10.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1
11.	स्टेनोटॉयपिस्ट	2
12.	दफ्तरी	1
13.	भृत्य	3
14.	प्रोसेस सर्वर	2
15.	चौकीदार/फर्राश	2
16.	वाहन चालक	1
	योग	29

ब –मैदानी कार्यालय (सहायक पंजीयक बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर एवं सरगुजा)

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1.	सहायक पंजीयक	4
2.	निरीक्षक	4
3.	ऑडिटर	4
4.	सहायक ग्रेड–2	4
5.	सहायक ग्रेड–3	4
6.	भृत्य	4
7.	प्रोसेस सर्वर	4
8.	चौकीदार/फर्राश	4
	योग	32

परिशिष्ट – तीन

वाष्पयंत्र निरीक्षकालय की स्वीकृत पद संरचना–

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1.	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	1
2.	उप मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	2
3.	वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र	3

4.	निरीक्षक वाष्पयंत्र	6
5.	सहायक अधीक्षक	1
6.	सहायक वर्ग–1	2
7.	सहायक वर्ग–2	2
8.	सहायक वर्ग–3	5
9.	शीघ्र लेखक वर्ग–3	1
10.	लेखापाल	1
11.	स्टेनोटायपिस्ट	1
12.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1
13.	वाहन चालक	1
14.	भृत्य	4
15.	चौकीदार	1
	योग	**32**

परिशिष्ट – चार

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्वीकृत पद संरचना–

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1.	संयोजक	1
2.	अपर संचालक	1
3.	संयुक्त संचालक	1
4.	उप संचालक	2
5.	सहायक संचालक	2
6.	सहायक प्रबंधक	4
7.	लेखापाल	1
8.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1
9.	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	1
10.	सहायक वर्ग–2	1
11.	सहायक वर्ग–3	1
12.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1
13.	भृत्य	2
14.	चौकीदार	1
	योग	**20**

परिशिष्ट–पांच

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन की स्वीकृत पद संरचना

क्र.	पदनाम	पद संख्या	टीप
1	प्रबंध संचालक	01	अखिल भारतीय सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
2	कार्यपालक संचालक	01	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति हेतु
3	उप महाप्रबंधक	01	डाईंग केडर
4	मुख्य महाप्रबंधक	05	03 पद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति हेतु एवं 01 पद विपणन प्रकोष्ठ हेतु स्वीकृत
5	महाप्रबंधक	*17	05 पद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति हेतु * आदेश क्रमांक एफ 1–8/2014/11/6 दिनांक 07.03.2015 के तहत् 05 सांख्येत्तर पद स्वीकृत किया गया है ।
6	कंपनी सचिव	01	01 पद मुख्यालय हेतु
7	प्रबंधक	*30	10 पद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति हेतु *आदेश क्रमांक एफ 1–8/2014/11/6 दिनांक 07.03.2015 के तहत् 10सांख्येत्तर पद स्वीकृत किया गया है ।
8	प्रबंधक (एम.आई.एस.)	01	पदोन्नति/सीधी भर्ती, विपणन प्रभाग में प्रोग्रामर के रुप में स्वीकृत
9	सहायक प्रबंधक	24	—
10	सहायक प्रबंधक (एम. आई.एस.)	02	01 पद मुख्यालय/ 01 पद विपणन प्रभाग हेतु
11	सहायक प्रबंधक तकनीकी/निरीक्षक	03	—
12	तहसीलदार/नायब तहसीलदार	01	राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
13	शीघ्रलेखक वर्ग–1	01	—
14	शीघ्रलेखक वर्ग–2	02	—
15	शीघ्रलेखक वर्ग–3	03	*आदेश क्रमांक एफ 1–8/2014/ 11/6 दि. 07.03.2015 के तहत् 01 सांख्येत्तर पद स्वीकृत किया गया है।

16	सहायक लेखाधिकारी	03	—
17	लेखापाल	01	डाईंग केडर
18	लेखापाल	08	—
19	केशियर	01	—
20	सहायक वर्ग—1	18	—
21	फील्ड ऑफिसर	01	डाईंग केडर
22	सहायक वर्ग—2	24	—
23	सहायक वर्ग—3	36	—
24	सेल्समेन	03	डाईंग केडर
25	स्टोर कीपर	02	डाईंग केडर
26	डाटा एंट्री ऑपरेटर	10	—
27	पी.बी.एक्स.ऑपरेटर	01	डाईंग केडर
28	तकनीशीयन	03	—
29	पटवारी	02	—
30	वाहन चालक	15	—
31	भृत्य	23	—
32	माली	02	—
33	दफ्तरी	01	डाईंग केडर
34	मुख्य अभियंता	01	प्रतिनियुक्ति
35	कार्यपालन अभियंता	04	—
36	सहायक अभियंता	08	—
37	कनिष्ठ अभियंता	16	—
38	मानचित्रकार	01	—
39	सहायक मानचित्रकार	02	—
40	अनुरेखक	02	—
41	सहायक फोरमेन	01	डाईंग केडर
42	मशीन आपरेटर	02	डाईंग केडर
43	कारपेंटर	01	डाईंग केडर

44	समयपाल	16	—
45	रोड रोलर चालक	03	डाईंग केडर
46	पंप आपरेटर–1	05	—
47	पंप आपरेटर–2	03	—
48	प्लम्बर	05	—
49	फिल्टर प्लांट आपरेटर/मीटर रीडर	13	—
50	इलेक्ट्रीशीयन	03	—
51	लाईनमेन	06	—
52	हेल्पर	44	डाईंग केडर
53	चौकीदार	20	—
54	कुशल श्रमिक	02	डाईंग केडर
55	टर्नर	01	डाईंग केडर
56	लेबर	02	डाईंग केडर
57	सहायक तकनीशीयन	02	आदेश क्रमांक एफ 1–8/2014/11/6 दिनांक 07.03.2015 के तहत् 02 सांख्येत्तर पद स्वीकृत किया गया है।
योग		**410**	

औद्योगिक निवेश आकर्षित करने हेतु 'इन्वेस्टर कनेक्ट मीट' मुम्बई

औद्योगिक निवेश आकर्षित करने हेतु 'इन्वेस्टर कनेक्ट मीट' नई दिल्ली